



रोजगार और नियोजन



वर्ष-22, अंक-29, रायपुर (छत्तीसगढ़) से प्रकाशित



25 दिसंबर 2024, बुधवार, पृष्ठ संख्या 24, निःशुल्क

वन स्थिति रिपोर्ट : 683 वर्ग किमी की वृद्धि के साथ छत्तीसगढ़ बना हरियाली का सिरमौर

भारत वन स्थिति रिपोर्ट-2023 शीर्ष पांच राज्य जिनमें बढ़ा वन एवं वृक्ष आवरण



पर्यावरण संरक्षण और हरित आवरण को बढ़ाने के लिए किए गए व्यापक प्रयासों से छत्तीसगढ़ ने 'भारत वन स्थिति रिपोर्ट-2023' में पहला स्थान प्राप्त किया है। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव द्वारा जारी इस रिपोर्ट के अनुसार, 2021 से 2023 के बीच देशभर में वन और वृक्ष आवरण में 1,445 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई, जिसमें से 683.62 वर्ग किलोमीटर का योगदान अकेले छत्तीसगढ़ ने दिया। रिपोर्ट के अनुसार, देश का कुल वन और वृक्ष आवरण अब 8,27,357 वर्ग किलोमीटर हो गया है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 25.17% है।

**प्रमुख पहल जिसने दिलाई सफलता**

- 'एक पेड़ मां के नाम' मुहिम : पौधारोपण अभियान से राज्यभर में लगभग 04 करोड़ वृक्षों का रोपण।
- स्थानीय भागीदारी: स्थानीय समुदायों और संयुक्त वन प्रबंधन समितियों की सक्रिय भागीदारी।
- वन मितान कार्यक्रम: युवाओं को पर्यावरण से जोड़कर उन्हें 'वन मित्र' बनाना।

"हमारी सरकार हरित और स्वच्छ छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है। आइए, इस दिशा में मिलकर कदम बढ़ाएं और प्रदेश को नई ऊंचाइयों पर ले जाएं।"

श्री विष्णु देव साय,
मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ का रजत जयंती अब 'अटल निर्माण वर्ष'

भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्मशती पर जशपुर के सराईटोली में आयोजित की गई अटल सुशासन चौपाल, मुख्यमंत्री हुए शामिल

प्रदेश में अटल परिसर के निर्माण हेतु भूमिपूजन 14 नगर निगम 50 नगर पालिका 123 नगर पंचायत

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती के अवसर पर आयोजित विभिन्न कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के निर्माता श्रद्धेय अटल जी को छत्तीसगढ़ की जनता की ओर से उन्होंने नमन किया। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के निर्माण में उनके योगदान को याद करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ का रजत जयंती वर्ष 'अटल निर्माण वर्ष' के रूप में मनाया जाएगा। इस दौरान अधोसंरचना विकास के कार्य प्राथमिकता से किए जाएंगे। हमारा राज्य छत्तीसगढ़ उनकी ही देन है। अटल जी हमेशा अपने मूल्यों और सिद्धांतों पर अडिग रहते थे। पूरे प्रदेश में उनकी जयंती सुशासन दिवस के रूप में मनाई जा रही है।

**सम्मान****समर्पण****सुशासन****मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने की विभिन्न विकास कार्यों की घोषणा****कुनकुरी**

- जशपुर में 500 सीटर ऑडिटोरियम निर्माण
- कुनकुरी नगर पंचायत क्षेत्र के विकास हेतु 5 करोड़
- तपकरा तहसील में बनेगा लिंक कोर्ट
- कुनकुरी में ऑडिटोरियम निर्माण, इंडोर स्टेडियम हेतु 20 लाख
- बार एसोसिएशन कुनकुरी में फर्नीचर, पुस्तकालय हेतु 25 लाख
- सलियाटोली में सामुदायिक भवन निर्माण हेतु 25 लाख

सराईटोली

- कोतईबीरा सामुदायिक भवन का जीर्णोद्धार
- कोतईबीरा से कपाटद्वार तक लक्ष्मण झूला की तर्ज पर पुल निर्माण
- अकिरा राजा पुल एवं दलटोली डैम का जीर्णोद्धार
- दलटोली से भेलवा तक सड़क चौड़ीकरण
- गोलीडीह से लावाकेरा मार्ग पर पुलिया का चौड़ीकरण
- फरसाबहार में खुलेगी अपेक्स बैंक की शाखा

लोकार्पण और भूमिपूजन

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती सुशासन दिवस के अवसर पर जशपुर जिले के विकास के लिए कई बड़ी सौगातें दीं। मुख्यमंत्री श्री साय ने कुनकुरी अंचल के ग्राम सलियाटोली में आयोजित कार्यक्रम में 726 करोड़ 27 लाख रूपए की लागत के 172 विकास कार्यों का भूमिपूजन और लोकार्पण किया जिनमें 65 करोड़ 94 लाख रूपए की लागत के 50 कार्यों का लोकार्पण और 660 करोड़ 33 लाख रूपए की लागत के 122 कार्यों का भूमिपूजन शामिल है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री साय ने शासन के विभिन्न विभागों की योजनाओं के अंतर्गत अनेक हितग्राहियों को सामग्री एवं उपकरण प्रदान किए।

मंडी शुल्क और कृषक कल्याण शुल्क में छूट

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार ने दलहन, तिलहन तथा गेहूं पर मंडी शुल्क और कृषक कल्याण शुल्क में 13 मार्च 2024 से 31 मार्च 2026 तक पूर्णतः छूट प्रदान की है। राज्य सरकार के इस निर्णय से प्रदेश के लाखों किसानों और दाल मिल, तिलहन मिल तथा फ्लोर मिलों के संचालकों तथा व्यापारियों को सीधा लाभ मिलेगा। छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने इस महत्वपूर्ण निर्णय के लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय का आभार व्यक्त किया है।

इन्वेस्टर्स मीट

नई दिल्ली में मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने दिया उद्योगपतियों को न्योता

छत्तीसगढ़ में 15 हजार करोड़ के निवेश प्रस्ताव



आने वाला समय छत्तीसगढ़ का प्रमुख कंपनियों की भागीदारी राज्य के औद्योगिक विकास को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। निवेशकों का यह रुझान न केवल राज्य की आर्थिक प्रगति में सहायक होगा, बल्कि रोजगार में भी इजाफा करेगा।

प्रस्तावों की प्रमुख बातें

- पेप्सिको बॉटलिंग प्लांट: 250 करोड़ का निवेश प्रस्ताव।
- रिन्यू पावर लिमिटेड: 11,500 करोड़ का निवेश ग्रीन हाइड्रोजन और पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट के लिए।
- पॉलीमेटेक इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड: 1134 करोड़ का निवेश सेमीकंडक्टर निर्माण में।
- माइक्रोमैक्स: 100 करोड़ का निवेश सौर सेल निर्माण के लिए।
- टीडब्ल्यूआई ग्रुप: 1650 करोड़ का निवेश ईवी किट निर्माण में, 1000 रोजगार के अवसर।

हर नागरिक को ₹999 में हवाई सेवा

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने रायपुर-अंबिकापुर-बिलासपुर हवाई सेवा का शुभारंभ स्वामी विवेकानंद विमानतल से किया। इस सेवा का आरंभिक किराया 999 रुपये रखा गया है, जिससे आम जनता को हवाई यात्रा की सुविधा मिलेगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के "हर नागरिक को हवाई सेवा" के सपने को साकार करने की दिशा में यह बड़ा कदम है। मां महामाया एयरपोर्ट, अंबिकापुर को श्री सी वीएफआर लाइसेंस प्राप्त हुआ है, जो 72-सीटर विमानों के संचालन के लिए उपयुक्त है।

रिक्रूटमेंट नोटिस

गुरु घासीदास वि. वि. बिलासपुर
पद: सहायक ग्रेड 2, 3 और स्टेनोग्राफर
पद संख्या: 54
अंतिम तिथि: 30 दिसंबर 2024
<https://www.ggu.ac.in/>

इंडियन एयरफोर्स
पद: प्लाईग ऑफिसर
पद संख्या: 336
अंतिम तिथि: 31 दिसंबर 2024
afcat.cdac.in

मेडिकल यूनिवर्सिटी
पद: ग्रुप बी, सी
पद संख्या: 332
अंतिम तिथि: 31 दिसंबर 2024
www.kgmu.org

एसबीआई
पद: क्लर्क
पद संख्या: 13735
अंतिम तिथि: 7 जनवरी 2025
sbi.co.in

एनआईसीएल
पद: असिस्टेंट
पद संख्या: 500
अंतिम तिथि: 1 जनवरी 2025
www.newindia.co.in

मध्यप्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड
पद: विभिन्न पद
पद संख्या: 2573
अंतिम तिथि: 23 जनवरी 2025
mponline.gov

राजस्थान लोक सेवा आयोग
पद: विभिन्न
पद संख्या: 575
अंतिम तिथि: 10 फरवरी 2025
rpsc.rajasthan.gov.in



वर्ष-22, अंक-28, रायपुर रोजगार और नियोजन

प्रधान संपादक : डॉ. रवि मित्तल
संपादक : जवाहर लाल दरियो
सहायक संपादक : गीतांजलि नेताम
संपादकीय : संदीप सिन्हा
ग्राफिक डिजाइनर : धनेश कुमार दिवाकर
डाटा एंट्री ऑपरेटर : अंजुलानी, राकेश साहू
वितरण व्यवस्था : मोहन मिश्रा, विक्रान्त

- कार्यालय पता -
छत्तीसगढ़ संवाद
(छत्तीसगढ़ शासन जनसंपर्क विभाग का उपक्रम)
नार्थ ब्लॉक, सेक्टर 19,
अटल नगर, नवा रायपुर (छत्तीसगढ़)
फोन-0771-2512582, 2512583
ईमेल पता
rojgaraurniyojan@gmail.com

रोजगार और नियोजन निःशुल्क है।

रोजगार और नियोजन में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। जरूरी नहीं कि सम्पादक उससे सहमत हों। रोजगार और नियोजन में प्रकाशित होने वाले लेखों के लिए लेखकों को नियमानुसार मानदेय प्रदान किए जाने की व्यवस्था है। किसी भी प्रकार के विवाद के लिये न्यायालयीन अधिकार क्षेत्र रायपुर रहेगा।

पिक ऑफ द वीक



दलपत सागर छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक है जिसे राजा दलपत देव काकतीय ने बनवाया था।

सुशासन : समावेशी विकास की ओर अग्रसर छत्तीसगढ़

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में सुशासन और विकास की नई इबारत लिखता छत्तीसगढ़

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ ने सुशासन, पारदर्शिता और समावेशी विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं। राज्य सरकार की कई योजनाओं ने न केवल राज्य के हर नागरिक को सशक्त किया है, बल्कि छत्तीसगढ़ को विकास की राह पर तेजी से आगे बढ़ाया है। पारदर्शिता के माध्यम से सरकारी प्रक्रियाओं में सुधार, जवाबदेही के जरिए विकास को सही दिशा, और समावेशी नीतियों के माध्यम से हर वर्ग तक लाभ पहुंचाने की दिशा में राज्य सरकार ने अभूतपूर्व कदम उठाए हैं।

पारदर्शिता
सुशासन की नई मिसाल

छत्तीसगढ़ सरकार ने पारदर्शिता और सुशासन की दिशा में कई क्रान्तिकारी कदम उठाए हैं। डिजिटल युग में कदम रखते हुए सरकार ने ई-ऑफिस प्रणाली, स्वागतम पोर्टल और मुख्यमंत्री कार्यालय ऑनलाइन पोर्टल जैसी पहलें लागू की हैं, जिससे सरकारी कार्यों की पारदर्शिता और कार्यकुशलता में वृद्धि हुई है। प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए विशेष समितियों का गठन किया गया है, और सरकारी खरीद में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए जेम पोर्टल का अनिवार्य उपयोग किया जा रहा है। इन कदमों ने छत्तीसगढ़ सरकार की पारदर्शिता को एक नई दिशा दी है और राज्य के विकास में जनभागीदारी को प्रोत्साहित किया है।

समावेशी विकास
दूरदर्शिता से नई दिशा

छत्तीसगढ़ सरकार ने समावेशी विकास के लिए कई दूरदर्शी कदम उठाए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 18 लाख से अधिक परिवारों को पक्का घर मिला, जिससे राज्य में कड़ी मेहनत करने वाले गरीबों को सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर मिला। महतारी वंदन योजना के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक सहायता मिली, जिससे न केवल उनका आत्मविश्वास बढ़ा, बल्कि उन्हें सशक्त बनाने की दिशा में ठोस कदम साबित हो रहा है। शिक्षा, रोजगार, उद्योग और पर्यटन के क्षेत्र में नए अवसर सृजित किए गए हैं, जिससे छत्तीसगढ़ आत्मनिर्भर और समृद्ध बनने की दिशा में निरंतर अग्रसर हो रहा है।



कानून व्यवस्था
सुरक्षा और शांति सुनिश्चित

कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए कई कड़े कदम उठाए हैं। नक्सलवाद के खिलाफ राज्य सरकार की सख्त नीति और 117 मुठभेड़ों में 210 माओवादी गिरफ्तार किए जाने इस बात का प्रमाण है कि राज्य सरकार सुरक्षा और शांति बनाए रखने के लिए दृढ़ संकल्पित है। इसके अलावा, साइबर अपराध और नशे के अवैध व्यापार पर भी कड़ी कार्रवाई की जा रही है, जिससे आम जनता सुरक्षित महसूस कर रही है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे जनता के बीच विश्वास बनाए रखें और राज्य में कानून व्यवस्था को सुनिश्चित करने में कोई कसर न छोड़ें।

जवाबदेही
छत्तीसगढ़ में विकास की नई मिसाल

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने राज्य में जवाबदेही की नई मिसाल कायम की है। महतारी वंदन योजना के तहत 70 लाख से अधिक महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान कर उनके सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों में वृद्धि की है और किसानों को कृषक उन्नति योजना के तहत धान बोनस देने का प्रावधान किया है, जिससे ग्रामीण इलाकों में आर्थिक समृद्धि आई है। छत्तीसगढ़ के किसानों को सशक्त बनाने और उनकी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए मुख्यमंत्री ने कई ठोस और प्रभावी योजनाएं लागू की हैं। किसान प्रदेश की रीढ़ हैं, उनकी समृद्धि ही राज्य के विकास का आधार है।

कुशल नेतृत्व
मुख्यमंत्री के दिशा-निर्देश से व्यापक लाभ

राज्य सरकार के कुशल नेतृत्व में राज्य ने कई जनहितकारी योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचाया है। महतारी वंदन योजना, तेन्दूपता संग्रहण दर में वृद्धि से राज्य के विकास की गति और तेज है। इसके अलावा, किसानों को 3716 करोड़ रुपए का बोनस और 4 करोड़ पौधों का रोपण किया गया, जिससे पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने और कृषि क्षेत्र को सुदृढ़ करने में मदद मिली। मुख्यमंत्री द्वारा श्रद्धालुओं को अयोध्या धाम यात्रा का लाभ भी दिया जा रहा है, जिससे धार्मिक और सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा मिला है। इन पहलुओं ने छत्तीसगढ़ को समय विकास के क्षेत्र में एक नई दिशा दी है।

स्टेनोग्राफर के पदों के लिए आवेदन 4 जनवरी तक

जिला कोर्ट महासमुंद में स्टेनोग्राफर ग्रेड-3, सहायक ग्रेड-3 के समकक्ष पद और ड्राइवर की भर्ती होगी। इसके लिए आवेदन मंगाए गए हैं। चार जनवरी 2025, शाम 4 बजे तक आवेदन किए जा सकते हैं। कुल 16 पदों पर भर्ती होगी, इनमें स्टेनोग्राफर के 5, सहायक ग्रेड-3 के समकक्ष पद के 10 और ड्राइवर के 1 पद शामिल हैं। इन पदों के लिए इच्छुक एवं पात्र अभ्यर्थी आवेदन पत्र को भर कर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुंद, पिन-493445 के पते पर स्पीड या रजिस्टर्ड डाक से पोस्ट करना होगा।

पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में 51 शैक्षणिक पदों पर भर्ती

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के 51 पदों पर भर्ती के लिए सूचना जारी की गई है। इच्छुक उम्मीदवार 15 जनवरी 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती में सबसे अधिक असिस्टेंट प्रोफेसर के 31 पद हैं, जबकि प्रोफेसर के 8 और एसोसिएट प्रोफेसर के 12 पद हैं। भर्ती विभिन्न विषयों में की जाएगी, जैसे भूगोल, समाजशास्त्र, भौतिकी, गणित, रसायन और योगा।

NHPC में 118 पदों पर भर्ती 30 दिसंबर तक करें आवेदन

नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन (NHPC) ने 118 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किया है। इच्छुक उम्मीदवार 30 दिसंबर 2024 तक NHPC की वेबसाइट nhpcin-dia.com पर आवेदन कर सकते हैं। पद और योग्यता: ट्रेनी ऑफिसर (HR/PR): पीजी डिग्री/डिप्लोमा, MBA। ट्रेनी ऑफिसर (Law): एलएलबी। सीनियर मेडिकल ऑफिसर: एमबीबीएस।

एयरफोर्स ने अग्निवीर के लिए नोटिफिकेशन जारी किया

अग्निपथ वायु अग्निवीर के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। रजिस्ट्रेशन 7 जनवरी 2025 से शुरू होगा। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट agnipathvayu.cdac.in पर आवेदन कर सकते हैं। अंतिम तिथि 27 जनवरी 2025 है।

NHAI में मैनेजर के 17 पदों पर भर्ती, आवेदन 6 जनवरी तक

नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने मैनेजर (फाइनेंस एंड अकाउंट्स) के 17 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किया है। आवेदन की अंतिम तिथि 6 जनवरी 2025 है। उम्मीदवार एनएचआई की आधिकारिक वेबसाइट nhai.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑफलाइन आवेदन भी स्वीकार किए जाएंगे। शैक्षणिक योग्यता और अनुभव: उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कॉमर्स में बैचलर डिग्री, सीए, सीएएम, या एमबीए (रेगुलर कोर्स) की डिग्री होनी चाहिए। इसके साथ ही संबंधित क्षेत्र में कम से कम 4 वर्षों का अनुभव अनिवार्य है।



छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग

नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)

विज्ञापन क्रमांक 04/2024/परीक्षा/दिनांक 23/12/2024

रोजगार नियोजन में प्रकाशन की तिथि: 25/12/2024

::विज्ञापन::

व्यवहार न्यायाधीश (कनिष्ठ श्रेणी) परीक्षा-2024

ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 26/12/2024 मध्यान्ह 12:00 बजे से दिनांक 24/01/2025 रात्रि 11:59 बजे तक

महत्वपूर्ण

- विज्ञापित पद हेतु आवेदन केवल ऑनलाइन एवं निर्धारित तिथि तक ही स्वीकार किए जाएंगे। किसी भी प्रकार के मैन्युअल अथवा डाक द्वारा भेजे गए आवेदन पत्र आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
- परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को आवेदन करने के पूर्व स्वयं सुनिश्चित करना चाहिए कि वे परीक्षा में प्रवेश हेतु सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं। परीक्षा के सभी स्तरों पर उनका प्रवेश पूर्णतः अनंतिम होगा। अभ्यर्थी को प्रवेश-पत्र जारी किए जाने का अर्थ यह नहीं होगा कि उसकी अभ्यर्थिता आयोग द्वारा अंतिम रूप से स्वीकार कर ली गई है। लिखित परीक्षा/साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी के चिन्हांकन के बाद ही आयोग पात्रता शर्तों की जांच करता है।
- उपरोक्त परीक्षा के लिए अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा शुल्क व पोर्टल शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से किया जाना है। परीक्षा शुल्क के भुगतान के लिए किसी बैंक के ड्राफ्ट अथवा चेक स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
- उपरोक्त परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन दिनांक 26/12/2024 को मध्यान्ह 12:00 बजे से दिनांक 24/01/2025 रात्रि 11:59 बजे तक www.psc.cg.gov.in पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से किए जा सकेंगे।
- ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार का कार्य आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद दिनांक 25/01/2025 मध्यान्ह 12:00 बजे से दिनांक 27/01/2025 रात्रि 11:59 बजे तक किया जा सकेगा। उक्त त्रुटि सुधार का कार्य केवल एक बार ऑनलाइन ही किया जा सकेगा। उक्त त्रुटि सुधार निःशुल्क होगा।
- ऑनलाइन आवेदन में सशुल्क त्रुटि सुधार का कार्य निःशुल्क त्रुटि सुधार करने की अंतिम तिथि के बाद दिनांक 28/01/2025 को मध्यान्ह 12:00 बजे से दिनांक 30/01/2025 रात्रि 11:59 बजे तक किया जा सकेगा। उक्त सशुल्क त्रुटि सुधार हेतु रू. 500/- (रूपये पांच सौ) शुल्क लिया जाएगा। उक्त सशुल्क त्रुटि सुधार का कार्य केवल एक बार ऑनलाइन ही किया जा सकेगा।
- यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवास/मूल निवास में सुधार कर "नहीं" का विकल्प दिया जाता है तो उसे शुल्क के अंतर की राशि का भुगतान करना होगा, किन्तु पूर्व में छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवास/मूल निवास विकल्प में नहीं दर्शित करने वाले अभ्यर्थियों के मामले में स्थानीय निवास/मूल निवास में "हां" के रूप में परिवर्तन की स्थिति में शुल्क अंतर की राशि वापस नहीं की जाएगी।
- सशुल्क त्रुटि सुधार के पश्चात् प्राप्त अभ्यावेदन को स्वमेव निरस्त माना जाएगा, इस संबंध में विस्तृत सूचना दिनांक 03.07.2023 को जारी की गई थी, जो आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

(1) भारतीय नागरिक और भारत शासन द्वारा मान्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों से छत्तीसगढ़ शासन के विधि और विधायी कार्य विभाग के अंतर्गत व्यवहार न्यायाधीश (कनिष्ठ श्रेणी) के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। पदों का विवरण नीचे की तालिका में दर्शित है:-

स.क्र.	पद का नाम	कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से महिलाओं के लिए आरक्षित पद				कुल रिक्तियों में से निःशक्तजनों के लिए आरक्षित पद	योग	वेतनमान
		अनारक्षित	अज्ञा	अज्ञा	अपिब	अनारक्षित	अज्ञा	अज्ञा	अपिब			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	व्यवहार न्यायाधीश (कनिष्ठ श्रेणी)	24	7	18	8	7	2	5	2	2 (LV/B/HH(Excluding Deaf)/Locomotor Disabilities/LC/Dw/AAV/MD/CP/Autism and Multiple Disabilities)	57	77840-136520 (Level-J-1)

Abbreviation Used: (LV-Low Vision, B-Blindness, HH-Hard of Hearing, LC-Leprosy Cured, Dw-Dwarfism, AAV-Acid Attack Victims, MD-Muscular Dystrophy, CP-Cerebral Palsy)

उपरोक्त विज्ञापित पदों के लिए की जाने वाली चयन प्रक्रियाएं माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के एस.एल.पी.(सी) क्रमांक 19668/2022 के अंतिम आदेश के अध्याधीन होंगी। विभाग से संशोधित रिक्तियां प्राप्त होने पर, रिक्तियों की अंतिम संख्या में परिवर्तन आ सकता है।

राज्य शासन द्वारा निर्धारित रीति से, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ी श्रेणियों तथा बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों, महिला तथा भूतपूर्व सैनिकों के लिए रिक्तियों के आरक्षण के अनुसार चिन्हांकन/चयन की कार्यवाही की जाएगी।

महत्वपूर्ण टीप:-

- ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक पदों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है।

2. यह विज्ञापन संबंधित विभागों के मांग-पत्र में उल्लेखित पदों की संख्या के अनुरूप प्रकाशित किया जा रहा है।
 3. छत्तीसगढ़ के स्थानीय/मूल निवासी निःशक्तजन (LV/B/HH(Excluding Deaf)/Locomotor Disabilities/LC/Dw/AAV/MD/CP/Autism and Multiple Disabilities) ही मान्य होंगे।
 4. परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम **Appendix-'A','B','C'** एवं ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में निर्देश एवं अन्य जानकारी **Appendix-'D'** में उल्लेखित है।
 5. छत्तीसगढ़ राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) श्रेणी के अतिरिक्त अन्य सभी (छत्तीसगढ़ राज्य के अनारक्षित एवं छत्तीसगढ़ राज्य के अतिरिक्त अन्य राज्य के अभ्यर्थी के आवेदन अनारक्षित श्रेणी के अंतर्गत आएं।
 6. ऑनलाइन आवेदन करने के पूर्व अभ्यर्थी नियमों का अवलोकन कर स्वयं सुनिश्चित कर लें कि उन्हें परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता है अथवा नहीं। यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा के किसी भी चरण में अथवा परीक्षाफल घोषित होने के बाद भी अनर्ह (Ineligible) पाया जाता है अथवा उसके द्वारा दी गई कोई भी जानकारी गलत पाई जाती है तो उसकी अभ्यर्थिता/चयन परिणाम निरस्त किया जा सकेगा।
- (2) **सेवा की शर्तें:-**
- (i) सेवा की शर्तें छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम, 2006 यथा संशोधित द्वारा शासित होगा।
 - (ii) व्यवहार न्यायाधीश (कनिष्ठ श्रेणी) के पद पर नियुक्ति छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम, 2006 के नियम 11 के अधीन होगा।
 - (iii) निम्नतर न्यायिक सेवा का कोई भी सदस्य, जिन्हें उच्च न्यायालय द्वारा अन्य विभाग/राज्य में नियोजन के लिये अनुमति दिया जाता है/अनापत्ति प्रमाणपत्र दिया जाता है/ जिनके आवेदन को अग्रेषित किया जाता है, इस आशय का एक बॉन्ड प्रस्तुत करेगा कि उसके अंतिम चयन एवं सेवा से उसके पद त्याग की दशा में, वह, तीन माह की पूर्व सूचना या ऐसे पद त्याग के समय उसके बदले में तीन माह का वेतन देगा।
 - (iv) चयनित उम्मीदवारों को स्वयं के खर्च पर अधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किए गए मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- (3) **पद का विवरण, वेतनमान, शैक्षणिक अर्हता एवं अन्य:-**
- (i) **पद का नाम:-** व्यवहार न्यायाधीश (कनिष्ठ श्रेणी)
 - (ii) **सेवा श्रेणी:-** राजपत्रित (द्वितीय श्रेणी)
 - (iii) **वेतनमान:-** 77840-136520 (Level-J-1)
- इसके अतिरिक्त राज्य शासन द्वारा समय-समय पर प्रसारित आदेशों के अनुसार महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते देय होंगे।
- (iv) **आवश्यक शैक्षणिक अर्हताएं:-**
- (अ) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि स्नातक की उपाधि।
 - (ब) अधिवक्ता अधिनियम, 1961 (1961 का सं. 25) के तहत एक अधिवक्ता के रूप में नामांकित हो।
- (4) **परिवीक्षा अवधि:-** चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति 03 वर्ष की परिवीक्षा पर की जाएगी।
- महत्वपूर्ण नोट:-**
- (i) अभ्यर्थी के पास उपर्युक्त आवश्यक शैक्षणिक अर्हताओं, अनुभव एवं अन्य अर्हताओं का "प्रमाण-पत्र" ऑनलाइन आवेदन करने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि तक धारित करना आवश्यक है।
 - (ii) ऑनलाइन आवेदन के साथ कोई भी प्रमाण पत्र संलग्न करने की आवश्यकता नहीं है।
- (5) **निर्धारित आयु सीमा:-** अभ्यर्थी की आयु दिनांक **01.01.2025** को 21 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक न हो, उच्चतर आयु सीमा में निम्नानुसार छूट की पात्रता होगी:-
- (i) यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) का हो तो उसे उच्चतर आयु सीमा में पांच वर्ष तक की छूट दी जाएगी।
 - (ii) महिलाओं (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अनारक्षित) के लिए उच्चतर आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट होगी।
 - (iii) छत्तीसगढ़ शासन के स्थायी/अस्थायी कर्मचारियों के लिए उच्चतर आयु सीमा में 03 वर्ष की छूट होगी।
- (6) अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने के पहले विज्ञापन में दर्शित आवश्यक शैक्षणिक अर्हताओं, अनुभव एवं आयु के अनुरूप अपनी अर्हता की जांच कर स्वयं सुनिश्चित कर लें एवं अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने की स्थिति से पूर्णतया संतुष्ट होने पर ही वे आवेदन-पत्र भरे। परीक्षा में सम्मिलित करने अथवा साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करने का अर्थ यह कदापि नहीं होगा कि अभ्यर्थी को अर्ह मान लिया गया है तथा चयन के किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी के अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन-पत्र बिना कोई सूचना दिये निरस्त कर उसकी अभ्यर्थिता समाप्त कर दी जाएगी।
- (7) **साक्षात्कार के पूर्व वांछित दस्तावेजों का प्रस्तुत किया जाना:-**
- साक्षात्कार के पूर्व अनुप्रमाणन फार्म के साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्रों और अंकसूचियों की स्वयं अथवा किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपियां प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा जिसके परीक्षण उपरांत अभ्यर्थी की अर्हता (Eligibility) की जांच की जाएगी।
- (i) आयु संबंधी प्रमाण के लिये सामान्यतः हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूल अथवा मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट अथवा तत्सम अर्हता का प्रमाण पत्र। अन्य प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे।
 - (ii) विज्ञापित पद के लिए आवश्यक शैक्षणिक अर्हता से संबंधित समस्त सेमेस्टर/वर्ष की अंकसूची।
 - (iii) पद के लिए आवश्यक शैक्षणिक अर्हताओं का प्रमाण-पत्र यथा-डिप्लोमा/स्नातक/स्नातकोत्तर उपाधि, पंजीयन, अनुभव आदि जो संबंधित पद के लिए आवश्यक है, की स्वप्रमाणित अथवा किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपियां। अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि आवेदित पद हेतु वांछित आवश्यक शैक्षणिक

अर्हताओं, अनुभव एवं अन्य अर्हताओं से संबंधित प्रमाण पत्र आयोग को ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि तक आवश्यक रूप से प्राप्त कर लिया है। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद की तिथि को जारी की गई उपाधि/अन्य प्रमाण पत्र मान्य नहीं किया जाएगा।

- (iv) अस्थिबाधित निःशक्तजन के अंतर्गत आने वाले उम्मीदवारों को “अधिकृत चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी निःशक्तता” का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
- (v) **जाति प्रमाण पत्र:-**
- (a) यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ राज्य का स्थानीय/मूल निवासी हो एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) की श्रेणी में आता है तथा जो इस विज्ञापन के तहत दर्शित छूट (आयु/ शुल्क/आरक्षण) का लाभ प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन आवेदन कर रहा हो, तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- (b) अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति के विवाहित महिला अभ्यर्थियों को अपने नाम के साथ पिता के नाम लगा जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है, एवं तदनुसार जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किए जाने पर इसे मान्य नहीं किया जाएगा।
- (c) (i) छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर (अन्य प्रदेश) के निवासी ऐसे अभ्यर्थी जो अपने राज्य में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्य हो, अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिये विज्ञापित पदों के विरुद्ध ही अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के समान विचारित किए जाएंगे, आरक्षित पदों के विरुद्ध नहीं। ऐसे अभ्यर्थियों को वर्ग के रूप में अनारक्षित वर्ग का ही चयन करना होगा।
- (ii) छत्तीसगढ़ राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ केवल गैर क्रीमीलेयर होने पर देय है। जाति प्रमाण पत्र के साथ गैर क्रीमीलेयर के अंतर्गत मान्य किए जाने हेतु साक्षात्कार की अंतिम तिथि से पिछले 03 वर्ष के भीतर जारी किया हुआ आय प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के पास होना चाहिए।
- शासकीय सेवकों के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही की जाएगी जिस हेतु अभ्यर्थी को दस्तावेज सत्यापन के समय अपने माता व पिता का सेवा में प्रथम नियुक्ति तथा पदोन्नती संबंधी समस्त आदेशों की सत्यापित प्रति प्रस्तुत करनी होगी।
- जिन अभ्यर्थियों के पिता की मृत्यु हो गई है उन्हें माता के नाम से जारी आय प्रमाण पत्र तथा माता एवं पिता दोनों की मृत्यु हो गई है तो स्वयं अथवा अभिभावक के नाम से जारी आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करते हुए माता-पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- जिन अभ्यर्थियों के माता-पिता का तलाक हो चुका है उन्हें माता-पिता का तलाकनामा अथवा बिना तलाक के कई वर्षों से विलग हैं तो उस स्थिति में उन्हें माता-पिता विलग होने संबंधी शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। विवाहित महिला अभ्यर्थी को अपने पिता के नाम से जारी आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- (क) यदि निर्धारित उच्चतर आयु सीमा में छूट चाही गई है तो निम्न दस्तावेज/प्रमाण पत्र अनिवार्यतः प्रस्तुत करें :-
- (i) विज्ञापन की कंडिका - 5(i) एवं 5(iii) के अंतर्गत उच्चतर आयु सीमा में छूट की पात्रता के लिए राज्य शासन के सक्षम अधिकारी/नियोक्ता अधिकारी का प्रमाण-पत्र।
- (8) **नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण-पत्र:-**
- (i) यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन के अधीन शासकीय विभाग/निगम/मंडल/उपक्रम में कार्यरत हों अथवा भारत सरकार अथवा उनके किसी उपक्रम की सेवा में कार्यरत हों या राष्ट्रीयकृत/अराष्ट्रीयकृत बैंक, निजी संस्थाओं एवं किसी भी विश्वविद्यालय में कार्यरत हों तो वे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, परन्तु ऑनलाइन आवेदन करने के पूर्व अथवा इसके तुरंत पश्चात् उन्हें अपने नियुक्ति प्राधिकारी/ कार्यालय प्रमुख को “अनापत्ति प्रमाण-पत्र” सीधे आयोग को भेजने के लिए निवेदन करते हुए आवेदन कर पावती प्राप्त करते हुए इसे सुरक्षित रखना चाहिए।
- (ii) यदि ऐसे अभ्यर्थी को आयोग द्वारा साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जाता है, तो उन्हें साक्षात्कार के पूर्व नियुक्ति प्राधिकारी/कार्यालय प्रमुख को अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु प्रस्तुत आवेदन की प्रति एवं उक्त आवेदन की नियुक्ति प्राधिकारी/कार्यालय प्रमुख द्वारा दी गई अभिस्वीकृति (जिसमें आवेदन प्राप्ति की तिथि भी अंकित हो) प्रस्तुत करना होगा।
- (iii) यदि अभ्यर्थी उपरोक्तानुसार “अनापत्ति प्रमाण पत्र” प्रस्तुत करने में असफल रहते हों, तो ऐसी स्थिति में उनका साक्षात्कार तो लिया जाएगा, परन्तु साक्षात्कार पश्चात् चयन की स्थिति में उन्हें संबंधित संस्था द्वारा भारमुक्त न किये जाने आदि के फलस्वरूप उनकी नियुक्ति निरस्त किये जाने की स्थिति बनती है तो इसके लिए आयोग/शासन के संबंधित विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी तथा इस संबंध में ऐसे अभ्यर्थी का कोई अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- (9) **आपराधिक अभियोजन:-**
- (A) ऐसे अभ्यर्थी को आपराधिक अभियोजन के लिए दोषी ठहराया जाएगा जिसे आयोग ने निम्नलिखित के लिए दोषी पाया हो:-
- (i) जिसने अपनी अभ्यर्थिता के लिए परीक्षा या साक्षात्कार में किसी भी तरीके से समर्थन प्राप्त किया हो या इसका प्रयास किया हो, या
- (ii) पररूप धारण (इम्परसोनेशन) किया हो, या
- (iii) किसी व्यक्ति से पररूप धारण कराया हो/किया हो, या
- (iv) फर्जी दस्तावेज या ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत किये हों जिनमें फेरबदल किया हो, या
- (v) चयन के किसी भी स्तर (Stage) पर असत्य जानकारी दी हो या सारभूत जानकारी छिपायी हो, या
- (vi) परीक्षा/साक्षात्कार में प्रवेश पाने के लिये कोई अन्य अनियमित या अनुचित साधन अपनाया हो, या
- (vii) परीक्षा/साक्षात्कार कक्ष में अनुचित साधनों का उपयोग किया हो या करने का प्रयास किया हो, या
- (viii) परीक्षा/साक्षात्कार संचालन में लगे कर्मचारियों को परेशान किया हो या धमकाया हो या शारीरिक क्षति पहुंचाई हो, या
- (ix) प्रवेश-पत्र/बुलावा पत्र में अभ्यर्थियों के लिये दी गई किन्हीं भी हिदायतों या अन्य अनुदेशों जिनमें परीक्षा संचालन में लगे केन्द्राध्यक्ष/सहायक केन्द्राध्यक्ष/वीक्षक/प्राधिकृत अन्य कर्मचारी द्वारा केन्द्राध्यक्ष के द्वारा स्थापित व्यवस्था अनुसार मौखिक रूप से दी गई हिदायतें भी शामिल हैं, का उल्लंघन किया हो, या
- (x) परीक्षा कक्ष में या साक्षात्कार में किसी अन्य तरीके से दुर्व्यवहार किया हो, या

- (xi) छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के भवन परिसर/परीक्षा केन्द्र परिसर में मोबाइल फोन/संचार यंत्र प्रतिबंध का उल्लंघन किया हो।
- (B) उपरोक्त प्रकार से दोषी पाये जाने वाले अभ्यर्थियों के विरुद्ध आपराधिक अभियोजन के अलावा उन पर निम्नलिखित कार्यवाही भी की जा सकेगी-
- (i) आयोग द्वारा उस चयन के लिये, जिसके लिए वह अभ्यर्थी है, उसकी अभ्यर्थिता निरस्त की जा सकेगी और/या
- (ii) उसे या तो स्थायी रूप से या विशिष्ट अवधि के लिए निम्नलिखित से विवर्जित किया जाएगा-
- (a) आयोग द्वारा ली जाने वाली परीक्षा या उसके द्वारा किये जाने वाले चयन से।
- (b) राज्य शासन द्वारा या/उसके अधीन नियोजन से वंचित किया जा सकेगा, और
- (c) यदि वह शासन के अधीन पहले से ही सेवा में हो तो उपरोक्तानुसार किए गए उल्लंघन के लिए उस पर अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकेगी, परन्तु उपरोक्त कार्यवाही के परिणामस्वरूप कोई शास्ति तब तक आरोपित नहीं की जाएगी, जब तक कि-
- (i) अभ्यर्थी को लिखित में ऐसा अभ्यावेदन, जो वह इस संबंध में देना चाहे, प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया हो, और
- (ii) अभ्यर्थी द्वारा अनुमत अवधि के भीतर प्रस्तुत किये गये अभ्यावेदन पर विचार न किया गया हो।
- (10) **अनर्हता:-**
- (A) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 6 के अनुसार निम्नलिखित अनर्हता होगी:-
- (i) कोई भी पुरुष अभ्यर्थी, जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों और कोई भी महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले ही एक पत्नी जीवित हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा/नहीं होगी।
- परन्तु यदि शासन का इस बात से समाधान हो जाए कि ऐसा करने के विशेष कारण हैं, तो वह ऐसे अभ्यर्थी को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।
- (ii) कोई भी अभ्यर्थी किसी सेवा या पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक उसे ऐसी स्वास्थ्य परीक्षा में, जो विहित की जाए, मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ और सेवा या पद के कर्तव्य के पालन में बाधा डाल सकने वाले किसी मानसिक या शारीरिक दोष से मुक्त ना पाया जाए।
- परन्तु आपवादिक मामलों में किसी अभ्यर्थी को उसकी स्वास्थ्य परीक्षा के पूर्व किसी सेवा या पद पर इस शर्त के अध्याधीन अस्थायी रूप से नियुक्त किया जा सकेगा कि यदि उसे स्वास्थ्य की दृष्टि से अयोग्य पाया गया तो उसकी सेवाएं तत्काल समाप्त की जा सकेगी।
- (iii) कोई भी अभ्यर्थी किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए उस स्थिति में पात्र नहीं होगा, यदि ऐसी जांच के बाद, जैसे कि आवश्यक समझी जाए, नियुक्ति प्राधिकारी का इस बात से समाधान हो जाए कि वह सेवा या पद के लिए किसी दृष्टि से उपयुक्त नहीं है।
- (iv) कोई भी अभ्यर्थी जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्ध दोष ठहराया गया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। परन्तु जहां तक किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामले, लंबित हों तो उसकी नियुक्ति का मामला आपराधिक मामले का अंतिम विनिश्चय होने तक लंबित रखा जाएगा।
- उपरोक्त नियम के परिप्रेक्ष्य में शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु ऐसे अभ्यर्थी जिसके विरुद्ध बालिकाओं एवं महिलाओं से छेड़छाड़, दुष्कर्म आदि से संबंधित नैतिक अधोपतन की श्रेणी में आने वाले अपराध के अंतर्गत प्रकरण दर्ज हो, उन्हें शासकीय सेवाओं एवं पदों पर नियुक्ति हेतु प्रकरण के अंतिम निर्णय होने तक प्रतिबंधित किया जाये। (छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ 1-1/2017/1-3 नवा रायपुर, दिनांक 11/09/2023)
- (v) कोई भी अभ्यर्थी, जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।
- (B) **छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम, 2006 के अनुसार निम्नलिखित अनर्हता होगी:-**
- (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में उपाधि धारण नहीं करता हो तथा अधिवक्ता अधिनियम, 1961 (1961 का सं. 25) के तहत एक अधिवक्ता के रूप में नामांकित न हो,
- (ii) अच्छे चरित्र का न हो तथा शारीरिक तथा मानसिक रूप से स्वस्थ न हो तथा ऐसी कोई नियोग्यता से मुक्त न हो जो उसे ऐसी नियुक्ति के लिए अनुपयुक्त बनाता हो,
- (iii) किसी उच्च न्यायालय, सरकार, शासकीय प्राधिकरण या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा सेवा से बर्खास्त या हटाया गया हो,
- (iv) किसी नैतिक अनाचार के अपराध में शामिल रहने के लिये दोषसिद्ध हो या किसी उच्च न्यायालय या संघ लोक सेवा आयोग या किसी राज्य सेवा आयोग या किसी सेवा चयन बोर्ड या कर्मचारी चयन आयोग द्वारा स्थायी रूप से विवर्जित या निरर्हित कर दिया गया हो,
- (v) अधिवक्ता अधिनियम, 1961 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन व्यावसायिक दुराचरण का दोषी पाया गया हो।
- (vi) अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए किसी भी साधन से समर्थन अभिप्राप्त करने के लिए किसी प्रयास में भाग लेने पर परीक्षा में प्रवेश या सेवा में चयन के लिए उसकी निरर्हता माना जा सकेगा।
- (11) **पहचान चिन्ह:-**
- प्रश्न-सह-उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं पर भी अपना नाम, अनुक्रमांक, कोई धार्मिक चिन्ह, कोई पहचान चिन्ह या उत्तर के अतिरिक्त अन्य कोई अक्षर, शब्द, वाक्य या कोई धार्मिक शब्द/वाक्य नहीं लिखा जाना चाहिए। उत्तर पुस्तिका में नीले व काले बॉल पॉइंट पेन के अतिरिक्त अन्य किसी भी रंग अथवा किसी प्रकार के पेन जैसे स्केच पेन, हाइलाइटर, ग्लिटर पेन इत्यादि का प्रयोग न करें। ऐसा करने पर आयोग द्वारा संबंधित अभ्यर्थी के उक्त परीक्षा के कुल प्राप्तांक में से 05 अंक की कटौती की जाएगी अथवा उक्त उत्तर-पुस्तिका का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। उक्त संदर्भ में आयोग का निर्णय अंतिम होगा।
- टीप-** यदि किसी प्रश्न के उत्तर में कहीं पर भी नाम लिखने की आवश्यकता हो तो अ,ब,स (A,B,C) लिखे तथा यदि कहीं शहर, कस्बे, ग्राम या स्थान का नाम लिखने की आवश्यकता हो तो क,ख,ग (X,Y,Z) लिखे, जो पहचान चिन्ह के श्रेणी में नहीं आएंगे।
- (12) **चयन प्रक्रिया:-** विज्ञापित पद पर चयन के लिए निर्धारित आवश्यक शैक्षणिक योग्यताएं न्यूनतम हैं और इन योग्यताओं के होने से ही उम्मीदवार परीक्षा/साक्षात्कार हेतु बुलाये जाने के हकदार नहीं हो जाते हैं।
- (i) उम्मीदवार का चयन मुख्य परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर गुणानुक्रम एवं प्रवर्गवार किया जाएगा।

- (ब) उम्मीदवार का चयन परीक्षा एवं सहायत्व के बावजूद ही किया जाएगा।
- (बब) परीक्षा योजना एवं परीक्षात्मक Applications 'A', 'B', 'C' में दिया गया है।
- (15) ऑनलाइन आवेदन हेतु आवेदन शुल्क:-
- (a) उम्मीदवार उच्च के स्तर के निवासी आवेदकों के लिए रुपये 400/- (चार सौ रुपये) आवेदन शुल्क देना होगा। कक्षागत उच्च के स्थानीय निवासी आवेदकों से कोई परीक्षा शुल्क नहीं लिया जाएगा। सभी उम्मीदवारों के लिए ऑनलाइन आवेदन के लिए पोर्टल शुल्क + नौपट्टी शुल्क देना होगा किन्तु एकलुक्त उम्मीदवार की प्रक्रिया में उम्मीदवार शुल्क तथा पोर्टल शुल्क का शुल्क निर्धारित दर अनुसार उम्मीदवार द्वारा देना होगा।
- (14) ऑनलाइन आवेदन तथा उम्मीदवार की सहायता सहाय होने के अंतर्गत विशेष प्रत्येक मामले दूर उम्मीदवारों को केवल सहायता, सिंग, वर्क, मूल निवासी, मित्राचार एवं मूलपूर्व वैश्विक संबंधित उम्मीदवारों में ही सुधार का अवसर विज्ञापन में दर्शित सहायता के लिए एकलुक्त दिया जाएगा।
- (a) एकलुक्त उम्मीदवार हेतु संबंधित उम्मीदवारों से एक वा अधिक उम्मीदवारों के सुधार के लिए रुपये 500/- का शुल्क लिया जाएगा यदि किसी उम्मीदवार द्वारा ऑनलाइन पोर्टल में उम्मीदवार के सहायतामूल निवासी बॉक्स में उम्मीदवार के साथ पर उम्मीदवार का उम्मीदवार सुधार दिया जाता है तो उम्मीदवारों को विभागाध्यक्ष शुल्क का शुल्क देना होगा। उम्मीदवार सहायतामूल निवासी बॉक्स में उम्मीदवार के साथ पर उम्मीदवार का उम्मीदवार सुधार दिया जाता है तो शुल्क की प्रति वापस नहीं होगी।
- (ब) एकलुक्त उम्मीदवार की प्रक्रिया में पोर्टल शुल्क तथा लम्बर निर्धारित दर अनुसार उम्मीदवार द्वारा देना होगा।
- (बब) एकलुक्त उम्मीदवार के पत्राचार किसी भी उम्मीदवारों को किसी भी प्रकार से उम्मीदवार का कोई अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा।
- (बब) एकलुक्त उम्मीदवार के पत्राचार संबंधित उम्मीदवारों के द्वारा को अंतिम माना जाएगा तथा सहायता/अतिरिक्त चयन के पूर्व एकलुक्त परीक्षा के दौरान एक उम्मीदवार का मूल एकलुक्त के आधार पर सहायता दिया जाएगा।
- (ब) उम्मीदवार की प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाइन होगी।
- (15) शोका के संबंध में:- (यदि परीक्षा लेने का निर्णय लिया जाता है तो)
- (a) प्रत्येक प्रश्न का निर्धारित चयन पर उत्तर अपेक्षित है। उत्तर के स्थान परिवर्तन होने पर उत्तर का मूलांकन नहीं किया जाएगा।
- (ब) आवेदन द्वारा आवेक्षित परीक्षा प्रणाली में पूर्णतः अपना पूर्णतः चयन का प्रत्येक नहीं है। अतः इस संबंध में किसी प्रकार के आवेक्षित पर विचार नहीं किया जाएगा।
- (बब) परीक्षा के दौरान यदि किसी परीक्षार्थी को किसी प्रकार का उत्तर विकल्प में किसी प्रकार की मूल्य संबंधी उम्मीदवार या उम्मीदवार उम्मीदवार विकल्प उम्मीदवार होने या अन्य प्रकार की उम्मीदवार की प्रत्येक चयन है तो उसे आवेदन द्वारा दिये गये निर्धारित सहायता में ऑनलाइन आवेदन एवं चयन नहीं होगी एवं संबंधित में आवेक्षित सहायता परीक्षा निर्देश, उम्मीदवार लोक सेवा आयोग, गार्ग न्याय, सेक्टर-19, नया शहर अटल नगर को रजिस्टर्ड पोस्ट/बुद्धिगत रूप से आवेदन में चयन का चयन है।
- (16) अत्यन्त महत्वपूर्ण:-
- (a) उम्मीदवार निःसहकार/कक्षागत मूलपूर्व वैश्विक श्रेणी के उम्मीदवारों, ऑनलाइन आवेदन पर में सहायता स्पष्ट उल्लेख कर प्रत्येक पर का उम्मीदवार, दिनांक, उम्मीदवार का प्रत्येक एवं अन्य चयन का स्पष्ट उल्लेख करें।
- (ब) भारतीय न्याय अदालत, 2016 तथा भारत सरकार, सहायता न्याय और अधिनियमित मंत्रालय, दिनांक सहायता विभाग के पर उम्मीदवार P.No. 29-6/2019-133-III dated 10/08/2022 के अनुसार उम्मीदवारों को प्रश्न-1 एवं प्रश्न-2 पर दिए गए प्रश्न के अनुसार किसी सहायता स्वास्थ्य देखभाल संस्था के मुख्य निदेशक अधिनियमित/निदेशक अर्थात् उम्मीदवार द्वारा जारी इस आवेदन का प्रत्येक पर प्रस्तुत किए जाने पर कि संबंधित उम्मीदवार लिखने में सहायता रूप से आवेदन है तथा उम्मीदवार को उम्मीदवार लिखने के लिए यह लेखक की सेवाएं लेना अपेक्षित है, यह लेखक के आवेदन की अनुमति ही ना होगी। उम्मीदवार स्वयं विभागाध्यक्ष यह लेखक की व्यवस्था कर सकते हैं अपना निदेश/संगणक सहायता से यह लेखक अत्यन्त चयन हेतु निदेश कर सकते हैं।
- (बब) स्वयं के अपना निदेश/संगणक सहायता द्वारा अत्यन्त चयन कर यह लेखक की सहायता परीक्षा के लिए निर्धारित न्यूनतम सहायता मापदंड से कम होने चाहिए तथा यदि यह लेखक की सहायता सहाय वैश्विक अपना प्रश्न अधिक होगी चाहिए। अपना यह लेखक तभी कि निदेश/संगणक सहायता को प्रश्न के लिए अनुपेक्षित चयन संबंधित निदेश/संगणक उम्मीदवार का है। परीक्षा में यह लेखक की सुविधा लेने वाले उम्मीदवारों को निदेश/संगणक सहायता से यह लेखक प्राप्त चयन चाहिए है अपना स्वयं यह लेखक तभी चाहिए है जो उन्हें ऑनलाइन आवेदन के साथ विज्ञापन के परिशिष्ट भाग, तः, भाग व भाग के अनुसार अत्यन्त प्रश्न-1, प्रश्न-2, प्रश्न-3 एवं प्रश्न-4 प्राप्त कर, प्रश्न-1 में सहायता अधिनियमित के द्वारा, प्रश्न-2 व प्रश्न-3 में सहायता के द्वारा, प्रश्न-4 में यह लेखक के द्वारा प्राप्त कर निदेश/संगणक सहायता से यह लेखक प्राप्त चयन अपना स्वयं अपने यह लेखक को परीक्षा दिनांक के दिन अपने साथ ले जाने हेतु संबंधित निदेश वा संगणक सहायता में प्रस्तुत करने होंगे अपना उम्मीदवार यह लेखक की सुविधा का आवेदन नहीं कर सकते। स्वयं यह लेखक की व्यवस्था अपने अपना निदेश/संगणक सहायता से यह लेखक की सुविधा लेने, उम्मीदवारों में प्रश्न 01, 02, 03 व 04 पूर्ण रूप से उत्तर एवं संबंधित द्वारा सहायता चयन संबंधित निदेश/संगणक सहायता में प्रस्तुत कर, यह लेखक संबंधी अनुमति प्राप्त किया जाता अधिनियमित होगा अपना परीक्षा दिनांक के दिन उम्मीदवार यह लेखक की सुविधा का आवेदन नहीं कर सकते।
- (ब) नैट/मैट्रा, लेखक चयन से प्रभावित और प्रभावित सहायता श्रेणियों के अंतर्गत नैट/मैट्रा दिनांक वाले उम्मीदवारों को परीक्षा के प्रत्येक चयन हेतु 20 मिनट प्रतिशुद्ध सहायता दिया जाएगा परिशिष्ट भाग से प्राप्त चयन अत्यन्त प्रश्न-1, प्रश्न-2, प्रश्न-3 एवं प्रश्न-4 के अनुसार किसी सहायता स्वास्थ्य देखभाल संस्था के मुख्य निदेशक अधिनियमित/निदेशक अर्थात् उम्मीदवार द्वारा जारी इस आवेदन का प्रत्येक पर प्रस्तुत किए जाने पर कि संबंधित उम्मीदवार लिखने में सहायता रूप से आवेदन है, यह सुविधा प्रदान की जाएगी। कि उम्मीदवारों को यह लेखक की सुविधा ही चाहिए है उन उम्मीदवारों से अपेक्षा है कि वे इस संबंध में सभी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु प्रत्येक पर जारी होने के पत्राचार परीक्षा लिखने के 05 दिन पूर्व आवेदन द्वारा अधिनियमित संबंधित निदेश/संगणक सहायता से ऑनलाइन

आवेदन के पश्चात डाउनलोड किए गए प्रपत्र-1, प्रपत्र-2, प्रपत्र-3 एवं प्रपत्र-4 को भरकर तथा संबंधित के हस्ताक्षर प्राप्त कर संपर्क करें। जिला/संभाग कार्यालय द्वारा परीक्षा केन्द्राध्यक्ष के नाम से जारी पत्र जिसमें अभ्यर्थी को परीक्षा में सहलेखक के उपयोग की अनुमति सहलेखक के विवरण के साथ दी जाएगी।

- (17) आयोग, उनकी दक्षता के क्रम में चयनित अभ्यर्थियों की अंतिम सूची तैयार करेगा जिसमें लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी को अंतिम रूप से दिये गये कुल अंक दर्शित होंगे। परंतु यह कि दो या अधिक अभ्यर्थियों द्वारा कुल बराबर अंक अभिप्राप्त करने पर, अधिक आयु के अभ्यर्थी का नाम, ऊपर रखा जाएगा। परंतु यह और कि यदि कुल समान अंक अभिप्राप्त करने वाले समान आयु के दो या दो से अधिक अभ्यर्थी हों तो, अभ्यर्थी, जिसने लिखित परीक्षा में अधिक अंक अभिप्राप्त किया हो, का नाम ऊपर रखा जाएगा।
- (18) यह विज्ञापन संबंधित विभाग के भर्ती नियम/मांग-पत्र के अनुरूप प्रकाशित किया जा रहा है। सेवा की शर्तें छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम, 2006 यथा संशोधित के अनुसार चयन प्रक्रिया की जाएगी, जो नियम उक्त (छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा भर्ती तथा सेवा शर्तें नियम, 2006) भर्ती नियम में उल्लेख नहीं है वह आयोग के प्रक्रिया नियम-2014 (यथा संशोधित) के अनुसार प्रावधानित होगी।
- (19) **यात्रा व्यय का भुगतान:-**
- (i) छत्तीसगढ़ के ऐसे मूल निवासी को, जो किसी सेवा में न हो तथा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) श्रेणी का पूर्णतः बेरोजगार अभ्यर्थी हो को छत्तीसगढ़ शासन के प्रचलित नियमों के अधीन परीक्षा/साक्षात्कार में सम्मिलित होने पर साधारण दर्जे का वास्तविक टिकिट किराया राशि का नगद भुगतान वापसी यात्रा के पूर्व परीक्षा केन्द्र/आयोग द्वारा किया जाएगा। यात्रा व्यय का भुगतान केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को किया जाना है:-
- 1) जिनके पास आयोग द्वारा ऑनलाइन जारी यात्रा व्यय देयक हो जिसमें उनकी बेसिक जानकारी प्रिंट की हुई हो।
 - 2) जो किसी शासकीय अथवा अशासकीय सेवा में न हों तथा उन्हें अन्य किसी स्रोत से कोई आय न हो रही हो।
- नोट:-** आयोग द्वारा ऑनलाइन जारी यात्रा व्यय देयक रखने से कोई अभ्यर्थी यात्रा व्यय प्राप्त करने हेतु पात्र नहीं होगा, आयोग उक्त समस्त तथ्यों की जाँच कर व तथ्यों के संबंध में आश्वस्त होने पर ही यात्रा व्यय स्वीकृत करेगा।
- (ii) अभ्यर्थियों को उनके गृह जिले के समीपस्थ परीक्षा केन्द्र तक की यात्रा के लिए यात्रा भत्ता का भुगतान किया जाएगा। गृह जिले को छोड़कर अन्य जिले के परीक्षा केन्द्रों से परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी। यदि अभ्यर्थी के गृह जिले में परीक्षा केन्द्र निर्धारित नहीं है तो समीपस्थ जिले के परीक्षा केन्द्र तक यात्रा भत्ता देय होगा।
- (20) किसी भी लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार से संबंधित प्रश्नों की सूची तभी जारी की जाएगी, जब संबंधित विज्ञापन के माध्यम से विज्ञापित पदों हेतु अंतिम चयन सूची जारी कर दी जाए।
- (21) विज्ञापन के संबंध में संपूर्ण जानकारी/संशोधन आदि का प्रकाशन आयोग की वेबसाइट में जारी/प्रकाशित किया जाता है। अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे आयोग के वेबसाइट/पोर्टल का सतत अवलोकन करते रहें। आयोग उपरोक्तानुसार प्रकाशित किये जाने वाले संशोधन/जानकारी की पृथक सूचना व्यक्तिशः जारी नहीं करेगा।
- (22) दावा आपत्ति निराकरण के बाद अंतिम चयन प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात संशोधित मॉडल उत्तर आयोग के वेबसाइट में जारी किया जाएगा।
- (23) परीक्षा में प्रवेश के लिए किसी भी अभ्यर्थी की पात्रता या अन्यथा के बारे में आयोग का विनिश्चय अन्तिम होगा।
- (24) विज्ञप्ति में उल्लेखित शर्तें/महत्वपूर्ण निर्देश/जानकारी आदि का निर्वचन (**Interpretation**):-
- इस विज्ञप्ति में उल्लेखित शर्तें महत्वपूर्ण निर्देश/जानकारी आदि के निर्वचन का अधिकार आयोग का रहेगा एवं इस संबंध में किसी अभ्यर्थी के द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन मान्य नहीं किया जाएगा एवं आयोग द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम तथा अभ्यर्थी पर बंधनकारी होगा।

सही/-

सचिव

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग
नवा रायपुर अटल नगर

परिशिष्ट-5

प्रपत्र-1

आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की धारा 2 (ध) की परिभाषा के तहत कवर किए गए लेकिन उक्त अधिनियम की धारा 2(द) की परिभाषा के तहत कवर नहीं किए गए, अर्थात् **40 प्रतिशत से कम** दिव्यांगता वाले और लिखने में कठिनाई होने वाले विनिर्दिष्ट दिव्यांगता वाले व्यक्ति के लिए प्रमाण पत्र।

यह प्रमाणित किया जाता है कि, हमने (गांव/पीओ/पीएस/जिला/राज्य) के निवासीके पुत्र/पुत्री, आयु वर्ष, (श्री/सुश्री/श्रीमति (उम्मीदवार का नाम) जो (दिव्यांगता की प्रकृति/स्थिति) से ग्रस्त है, की जांच की है और यह उल्लेख करते हैं कि उसकी सीमाएं हैं, जो उसकी उपरोक्त स्थिति के कारण उसकी लेखन क्षमता को बाधित करती है। उसे परीक्षा लिखने के लिए स्क्राइब की आवश्यकता है।

- उपर्युक्त उम्मीदवार सहायक उपकरण जैसे प्रोस्थेटिक्स और ऑर्थोटिक्स, हियरिंग एड (विनिर्दिष्ट किया जाने वाला नाम) का उपयोग करता है जो उम्मीदवार के लिए स्क्राइब की सहायता से परीक्षा में बैठने के लिए आवश्यक है।
- यह प्रमाण पत्र केवल भर्ती एजेंसियों के साथ-साथ शैक्षिक संस्थानों द्वारा आयोजित लिखित परीक्षाओं में बैठने के उद्देश्य से जारी किया जाता है और तक मान्य है (यह अधिकतम छः महीने या उससे कम की अवधि के लिए मान्य है जैसा कि चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाएगा)

चिकित्सा प्राधिकारी के हस्ताक्षर

(हस्ताक्षर और नाम)	(हस्ताक्षर और नाम)	(हस्ताक्षर और नाम)	(हस्ताक्षर और नाम)	(हस्ताक्षर और नाम)
आर्थोपेडिक/पीएमआर विशेषज्ञ	क्लिनिकल मनोवैज्ञानिक/ पुनर्वास मनोवैज्ञानिक/ मनोचिकित्सक/ विशेष प्रशिक्षक	न्यूरोलॉजिस्ट (यदि उपलब्ध हो)	ओक्यूपेशनल थेरेपिस्ट (यदि उपलब्ध हो)	अन्य विशेषज्ञ, जैसा कि अध्यक्ष द्वारा नामित किया गया है (यदि कोई हो)
(हस्ताक्षर और नाम)				
मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन/मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी.....अध्यक्ष				

सरकारी अस्पताल/स्वास्थ्य देखभाल केंद्र का मोहर सहित नाम

स्थान:

दिनांक:

परिशिष्ट-5

प्रपत्र-1

आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की धारा 2 (घ) की परिभाषा के तहत कवर किए गए लेकिन उक्त अधिनियम की धारा 2(द) की परिभाषा के तहत कवर नहीं किए गए, अर्थात् **40 प्रतिशत से अधिक** दिव्यांगता वाले और लिखने में कठिनाई होने वाले विनिर्दिष्ट दिव्यांगता वाले व्यक्ति के लिए प्रमाण पत्र।

यह प्रमाणित किया जाता है कि, हमने (गांव/पीओ/पीएस/जिला/राज्य) के निवासीके पुत्र/पुत्री, आयु वर्ष, (श्री/सुश्री/श्रीमति (उम्मीदवार का नाम) जो (दिव्यांगता की प्रकृति/स्थिति) से ग्रस्त है, की जांच की है और यह उल्लेख करते हैं कि उसकी सीमाएं हैं, जो उसकी उपरोक्त स्थिति के कारण उसकी लेखन क्षमता को बाधित करती है। उसे परीक्षा लिखने के लिए स्क्राइब की आवश्यकता है।

- उपर्युक्त उम्मीदवार सहायक उपकरण जैसे प्रोस्थेटिक्स और ऑर्थोटिक्स, हियरिंग एड (विनिर्दिष्ट किया जाने वाला नाम) का उपयोग करता है जो उम्मीदवार के लिए स्क्राइब की सहायता से परीक्षा में बैठने के लिए आवश्यक है।
- यह प्रमाण पत्र केवल भर्ती एजेंसियों के साथ-साथ शैक्षिक संस्थानों द्वारा आयोजित लिखित परीक्षाओं में बैठने के उद्देश्य से जारी किया जाता है और तक मान्य है (यह अधिकतम छः महीने या उससे कम की अवधि के लिए मान्य है जैसा कि चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाएगा)

चिकित्सा प्राधिकारी के हस्ताक्षर

(हस्ताक्षर और नाम)	(हस्ताक्षर और नाम)	(हस्ताक्षर और नाम)	(हस्ताक्षर और नाम)	(हस्ताक्षर और नाम)
आर्थोपेडिक/पीएमआर विशेषज्ञ	क्लिनिकल मनोवैज्ञानिक/ पुनर्वास मनोवैज्ञानिक/ मनोचिकित्सक/ विशेष प्रशिक्षक	न्यूरोलॉजिस्ट (यदि उपलब्ध हो)	ओक्यूपेशनल थेरेपिस्ट (यदि उपलब्ध हो)	अन्य विशेषज्ञ, जैसा कि अध्यक्ष द्वारा नामित किया गया है (यदि कोई हो)
(हस्ताक्षर और नाम)				
मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन/मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी.....अध्यक्ष				

सरकारी अस्पताल/स्वास्थ्य देखभाल केंद्र का मोहर सहित नाम

स्थान:

दिनांक:

परिशिष्ट-6

प्रपत्र-2

आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की धारा 2 (ध) की परिभाषा के तहत कवर किए गए, लेकिन उक्त अधिनियम की धारा 2 (द) की परिभाषा के तहत कवर नहीं किये गए विनिर्दिष्ट दिव्यांगता अर्थात **40 प्रतिशत से कम** दिव्यांगता वाले और लिखने में कठिनाई होने वाले व्यक्ति द्वारा वचनबंध

मैं(दिव्यांगता की प्रकृति/स्थिति) वाला एक उम्मीदवार, जो(राज्य का नाम) के..... (जिले) में (परीक्षा का नाम) में रोल नंबर से (केंद्र का नाम) में बैठ रहा हूं। मेरी शैक्षणिक योग्यता है।

2. मैं एतद् द्वारा यह वचन देता हूं कि (लिखने वाले का नाम) उपरोक्त परीक्षा देने के लिए अधोहस्ताक्षरी के लिए स्क्राइब की सेवा प्रदान करेगा।
3. मैं एतद् द्वारा वचन देता हूं कि उनकी योग्यता है। इस मामले में, बाद में यदि यह पाया जाता है कि उनकी योग्यता अधोहस्ताक्षरी द्वारा यथा घोषित नहीं है और पद हेतु निर्धारित योग्यता से अधिक है तो मैं पद से संबंधित दावों के अपने अधिकार को खो दूंगा।

(उम्मीदवार के हस्ताक्षर)

(अभिभावक/संरक्षक द्वारा प्रतिहस्ताक्षर, यदि उम्मीदवार नाबालिक है)

स्थान:

दिनांक:

परिशिष्ट-6

प्रपत्र-2

आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की धारा 2 (ध) की परिभाषा के तहत कवर किए गए, लेकिन उक्त अधिनियम की धारा 2 (द) की परिभाषा के तहत कवर नहीं किये गए विनिर्दिष्ट दिव्यांगता अर्थात् 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता वाले और लिखने में कठिनाई होने वाले व्यक्ति द्वारा वचनबंध

मैं(दिव्यांगता की प्रकृति/स्थिति) वाला एक उम्मीदवार, जो(राज्य का नाम) के..... (जिले) में (परीक्षा का नाम) में रोल नंबर से (केंद्र का नाम) में बैठ रहा हूं। मेरी शैक्षणिक योग्यता है।

2. मैं एतद् द्वारा यह वचन देता हूं कि (लिखने वाले का नाम) उपरोक्त परीक्षा देने के लिए अधोहस्ताक्षरी के लिए स्क्राइब की सेवा प्रदान करेगा।
3. मैं एतद् द्वारा वचन देता हूं कि उनकी योग्यता है। इस मामले में, बाद में यदि यह पाया जाता है कि उनकी योग्यता अधोहस्ताक्षरी द्वारा यथा घोषित नहीं है और पद हेतु निर्धारित योग्यता से अधिक है तो मैं पद से संबंधित दावों के अपने अधिकार को खो दूंगा।

(उम्मीदवार के हस्ताक्षर)

(अभिभावक/संरक्षक द्वारा प्रतिहस्ताक्षर, यदि उम्मीदवार नाबालिक है)

स्थान:

दिनांक:

परिशिष्ट-7

प्रपत्र-3

प्रति,

कलेक्टर,

जिला -----

विषय:- आयोग द्वारा आयोजित ----- परीक्षा में सह लेखक प्रदाय करने संबंधी।

---00---

विषयान्तर्गत निवेदन है कि मैं ----- पिता श्री ----- आयोग द्वारा आयोजित -----

परीक्षा दिनांक ----- में सम्मिलित हो रहा/रही हूं। इस परीक्षा में मैं एक दृष्टिहीनता, दोनों बाजुओं से प्रभावित और प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात श्रेणियों से संबंधित दिव्यांग (----- प्रतिशत) अभ्यर्थी हूं।

मैं दृष्टिहीनता, दोनों बाजुओं से प्रभावित और प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात श्रेणियों से संबंधित दिव्यांग अभ्यर्थी होने के कारण स्वयं लिख नहीं सकता/सकती हूं।

अतः मैं श्री/सुश्री -----पिता श्री ----- को सह लेखक के रूप में रखना चाहता हूं/चाहती हूं।

अतः आपसे निवेदन है कि सह लेखक के रूप में श्री/सुश्री ----- पिता श्री ----- को सह लेखक के रूप में

मान्य करते हुए प्रदाय करने की कृपा करें।

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर -----

अभ्यर्थी का नाम -----

अभ्यर्थी का ई-मेल -----

अभ्यर्थी का मोबाईल नम्बर -----

परिशिष्ट-8

प्रपत्र-4

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, नवा रायपुर
सह लेखक द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाले स्व-घोषणा पत्र

1. परीक्षा का नाम वर्ष.....
2. परीक्षा का प्रकार (ऑनलाइन/ऑफलाइन)
3. परीक्षा का दिन व समय
4. परीक्षा केन्द्र का क्रमांक व नाम
5. अभ्यर्थी का नाम
6. अभ्यर्थी का अनुक्रमांक
7. अभ्यर्थी के पिता का नाम
8. सह लेखक का नाम
9. सह लेखक के पिता का नाम
10. सह लेखक द्वारा धारित उच्चतम शैक्षणिक योग्यता

स्व-घोषणा पत्र

मैं निष्ठापूर्वक यह प्रमाणित करता/करती हूँ कि मैं स्वयं की सहमति से अभ्यर्थी श्री/सुश्री को परीक्षा में उनके कहे अनुसार परीक्षा दिलाने में मदद करने के लिए सह लेखक के रूप में उपस्थित हुआ/हुई हूँ। मेरी उच्चतम शैक्षणिक योग्यता है। मेरे द्वारा स्वयं के विवेक से किसी भी प्रश्न के उत्तर को लिखने अथवा सुधारने का प्रयास नहीं किया जाएगा। उक्त दिव्यांग अभ्यर्थी के कहे अनुसार ही शब्दशः उत्तर लिखे अथवा चुने जाएंगे। मेरे द्वारा की गई उक्त घोषणा का कोई भी अंश चयन के किसी भी स्तर पर अथवा चयन के पश्चात कभी भी गलत पाया जाता है, तो मेरे विरुद्ध अनुशासनिक/कानूनी कार्यवाही करने का सम्पूर्ण अधिकार छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग व/अथवा संबंधित विभाग को होगा तथा इस संबंध में मेरे द्वारा किसी प्रकार का वाद प्रस्तुत नहीं किया जाएगा।

सह लेखक के हस्ताक्षर

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर/
अंगुठे का निशान

केंद्राध्यक्षक के हस्ताक्षर व
केंद्र की सील

Appendix - 'A'

व्यवहार न्यायाधीश (कनिष्ठ श्रेणी) परीक्षा-2024

Examinations Scheme

The Examination shall be conducted by the CGPSC in three parts for the aforesaid post. In the first part Preliminary Examination shall be conducted to restrict the number of candidates to the reasonable limit for the Main Examination.

Scheme and syllabus for the Preliminary Examination & Main Examination has been published in the advertisement under Appendix 'B' and Appendix 'C'. Information regarding Date & Time of Main Examination will be published later on.

Scheme of Preliminary Examination:-

- (1) Question paper for Preliminary Examination shall be of 100 marks and will consist of 100 objective type questions. Each question will have four options for answer, out of which one option will be the correct answer.
- (2) Candidates shall have to tick the correct option.
- (3) The language of question paper of Preliminary Examination and Main written Examination will be English and Hindi.
- (4) The relatively more meritorious candidates from among those who appeared in the Preliminary Examination in the **ratio of 1:10** having regard to the number of vacancies shall be declared qualified for appearing in the Main Examination. The candidates obtaining equal marks as obtained by the last qualified candidates shall also be declared as qualified, though, in consequence the number of candidates declared as qualified may exceed the parameter of 10 times the number of Notified Vacancies. The same procedure will be adopted for Viva-voce in the Main Examination while declaring the candidates qualified on the basis of merit possibly three times against the number of vacancies.
- (5) The final selection will be on merit on the basis of total marks obtained in the written (Main) Examination and Viva-voce. The decision of the CGPSC with regard to calling the candidates for Viva-voce will be final. The maximum 15 marks are fixed for Viva-voce.
- (6) A candidate belonging to unreserved category has to secure minimum 33% marks in the viva-voce and those belonging to Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes shall be required to secure minimum 25% marks in the viva-voce.

Note :-

- (a) There shall be a screening test in the Preliminary Examination to shortlist candidates for the Main Examination. The mark sheet for Preliminary Examination will not be issued, nor the marks obtained in that Examination will be added while preparing merit list of the Main Examination.
- (b) The candidates remaining absent in the Viva-voce shall be disqualified for the selection.

(7) Examination Centre:-

For Preliminary Exam

1. Bilaspur
2. Durg-Bhilai
3. Raipur

For Main Exam

1. Bilaspur
2. Raipur

Note:- It is not necessary that the Examination centre opted by the candidates will be allotted to them. Looking to the capacity and administrative convenience, the CGPSC will allot the Examination centre even other than mentioned or may delete any examination centre given in the list. The candidates shall have to appear in Examination at the allotted centre.

Appendix - 'B'

(a) Preliminary Examination

(No. of Question - 100, Time - 2:00 Hour, Marks - 100)

The Preliminary Examination shall be of the duration of two hours consisting of 100 objective type questions from the following:-

- (1) The Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023*
- (2) Code of Civil Procedure
- (3) The Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023*
- (4) The Bharatiya Sakshya Adhinyam, 2023*
- (5) Constitution of India
- (6) Transfer of Property Act
- (7) Contract Act
- (8) Limitation Act
- (9) The Chhattisgarh Rent Control Act, 2011
- (10) Court Fees Act
- (11) Specific Relief Act
- (12) Registration Act
- (13) Chhattisgarh Land Revenue Code
- (14) The Negotiable Instruments Act, 1881
- (15) The Chhattisgarh Excise Act, 1915
- (16) General Knowledge of Chhattisgarh

Appendix - 'C'

(b) Main Examination (Written)

(Time - 3:00 Hour, Marks - 100)

For Main Examination, the relatively more meritorious candidates from among those who appeared in the Preliminary Examination in the ratio of 1:10 having regard to the number of vacancies shall be called for Main Examination (Written) to be conducted which shall consist of:

- (i) Framing of issues and writing of Judgement in Civil Cases
(Maximum Marks - 40)
- (ii) Framing of charges and writing of Judgement in Criminal Cases
(Maximum Marks - 40)
- (iii) Translation:-
(1) English to Hindi-
(Maximum 10 marks)
(2) Hindi to English-
(Maximum 10 marks)

(c) Viva-Voce:-

Relatively more meritorious candidates from among those who appeared in the Main Examination in the ratio of 1:3 having regard to the number of vacancies, shall be called for viva-voce to be conducted. **The maximum marks for Viva-voce would be 15.**

- (i) A candidate belonging to unreserved category has to secure minimum 33% marks in the viva-voce and those belonging to Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes shall be required to secure minimum 25% marks in the viva-voce.

Appendix – 'D'

“ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में निर्देश एवं जानकारी”

ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में आवश्यक निर्देश निम्नानुसार हैं:- (कृपया आवेदन भरने से पहले विज्ञापन में दी गई समस्त जानकारी और शर्तों को अच्छी तरह पढ़ लें) ऑनलाइन आवेदन हेतु सक्रिय लिंक वेबसाइट www.psc.cg.gov.in पर निर्धारित तिथियों में उपलब्ध रहेंगे।

(1) पूर्व से छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की ऑनलाइन प्रक्रिया हेतु रजिस्टर्ड अभ्यर्थी अपने लॉगिन आई. डी. व पासवर्ड का प्रयोग कर आवेदन की प्रक्रिया कर सकते हैं। पहली बार छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की वेबसाइट के माध्यम से आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया में सर्वप्रथम एक Candidate's Registration पेज प्राप्त होगा। उक्त पेज में नाम, पिता का नाम, माता का नाम, लिंग, जन्मतिथि, मोबाइल नम्बर तथा ई-मेल आई.डी. एवं पहचान पत्र आई.डी. नम्बर इत्यादि की प्रविष्टि कर Generate OTP बटन को क्लिक करने पर अभ्यर्थी को उसके द्वारा प्रविष्ट किए गए मोबाइल नम्बर एवं ई-मेल आई.डी. पर प्राप्त हुए One Time Password (OTP) की प्रविष्टि हेतु दो टेक्स्ट बॉक्स प्राप्त होंगे जिनमें सही OTP प्रविष्ट करने पर अभ्यर्थी को अपना फोटो कैप्चर करने हेतु, प्रविष्ट किए गए मोबाइल नम्बर पर एक लिंक प्राप्त होगा जिसके माध्यम से मोबाइल कैमरा की मदद से Open Camera बटन को क्लिक कर अभ्यर्थी अपना लाइव फोटो अपलोड करेंगे। पूर्व से रजिस्टर्ड अभ्यर्थियों को भी लॉगिन करने तथा कैप्चर फोटो बटन को क्लिक करने पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर, लाइव फोटो अपलोड करने हेतु लिंक प्राप्त होगा। अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करें कि उसके द्वारा कैप्चर किए हुए फोटो में उसका चेहरा स्पष्ट हो, दोनो कान स्पष्ट दिखाई दे रहे हों तथा आंखें खुली हुई हो। फोटो कैप्चर करते समय ऐसी दीवार अथवा सरफेस को बैकग्राउंड के रूप में प्रयुक्त करें जो एक ही हल्के रंग (Light Colour) का हो। अभ्यर्थी यह प्रयास करें कि कैप्चर किया हुआ चेहरा कैप्चर स्क्रीन के लगभग 80 प्रतिशत भाग पर आए। यदि अभ्यर्थी कैप्चर किए हुए फोटो को बदलना चाहे तो Re Capture बटन का प्रयोग कर वे ऐसा कर सकते हैं। पर्याप्त बड़े तथा स्पष्ट चेहरे युक्त फोटो को कैप्चर करने के पश्चात् Verify & Upload बटन को क्लिक कर अभ्यर्थी लाइव फोटो अपलोड कर सकता है। फोटो अपलोड करने के पश्चात् अभ्यर्थी Upload Signature को क्लिक कर अपना हस्ताक्षर अपलोड करेंगे।

ऑनलाइन आवेदन के लिए अपलोड किए जाने हेतु, अभ्यर्थी के हस्ताक्षर संबंधी निर्देश:- ऑनलाइन आवेदन के दौरान अभ्यर्थी को अपना हस्ताक्षर अपलोड करना होगा, इस हेतु अभ्यर्थी एक सफेद कागज पर काले बॉल प्वाइंट पेन से हस्ताक्षर करें। अभ्यर्थी उक्त निर्देशानुसार हस्ताक्षरित कागज को स्कैन कर .JPG फाइल (अधिकतम साइज 100 KB) तैयार कर/करवा लें। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि स्कैन करते समय केवल हस्ताक्षर को ही स्कैन किया जाए, खाली बैकग्राउंड को नहीं।

(2) फोटो एवं हस्ताक्षर सफलता पूर्वक अपलोड करने के पश्चात् Save बटन को क्लिक करने पर अभ्यर्थी अपने डैशबोर्ड पर उपलब्ध आवेदन किए जाने वाले पद से संबंधित Apply बटन को क्लिक कर ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। उक्त प्रक्रिया के दौरान अभ्यर्थी को पंजीयन के समय प्रविष्ट किए गए ई-मेल आई.डी. पर लॉगिन आई.डी. एवं पासवर्ड प्राप्त होंगे जिनकी मदद से अभ्यर्थी भविष्य में कभी भी लॉगिन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन में समस्त प्रविष्टियां कर लेने के पश्चात् अभ्यर्थी को आवेदन व/अथवा पोर्टल शुल्क भुगतान की प्रक्रिया हेतु पेज प्राप्त होगा, जिस पर उपलब्ध भुगतान विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चयन कर भुगतान किया जा सकेगा। सफलतापूर्वक भुगतान कर लेने पर अभ्यर्थी को अपने आवेदन की रसीद प्राप्त होगी। अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि निर्धारित भुगतान सफलतापूर्वक हो गया है। ऐसा नहीं होने पर अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत ऑनलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। चयन प्रक्रिया पूर्ण होने तक, प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए ऑनलाइन आवेदन की पावती एवं भुगतान की रसीद का प्रिंट अपने पास रखना तथा आयोग द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थी इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आवेदन व/अथवा पोर्टल शुल्क के सफलता पूर्वक भुगतान के पश्चात् ऑनलाइन आवेदन की पावती पर Application Status के सामने Submitted दर्शित हो रहा हो तथा Payment Status के सामने Paid दर्शित हो रहा हो, ऐसा नहीं होने पर अभ्यर्थी का आवेदन आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा तथा इस संबंध में किसी भी प्रकार का अभ्यावेदन भी स्वीकार नहीं किया जाएगा।

(3) अभ्यर्थी संबंधित चयन प्रक्रिया पूर्ण होने तक अपना रजिस्ट्रेशन आई.डी. एवं पासवर्ड सुरक्षित रखें। चयन के प्रत्येक स्तर पर रजिस्ट्रेशन आई.डी. एवं पासवर्ड के प्रयोग से ही जानकारी प्राप्त करने अथवा प्रदान करने का कार्य किया जा सकेगा। अभ्यर्थी संबंधित चयन प्रक्रिया पूर्ण होने तक अपना मोबाइल नम्बर व ई-मेल आई.डी. न बदलें तथा उसे एक्टिव रखें। मोबाइल व/अथवा सिम खो जाने या खराब हो जाने की स्थिति में तत्काल मोबाइल सेवा प्रदाता कंपनी से संपर्क कर Candidate's Registration हेतु प्रयुक्त किए गए मोबाइल नम्बर को चालू करवाएं। आयोग द्वारा अन्य आवश्यक सूचनाएं उक्त मोबाइल नंबर व ई-मेल आई.डी. पर दी जा सकती है।

(4) ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया से लेकर अंतिम चयन की प्रक्रिया तक सभी आवश्यक सूचनाएं आयोग की वेबसाइट www.psc.cg.gov.in पर उपलब्ध कराई जाएंगी। अभ्यर्थी नियमित रूप से उक्त वेबसाइट का अवलोकन करते रहें। किसी भी अभ्यर्थी को कोई भी सूचना व्यक्तिगत रूप से पत्र/SMS से देने हेतु आयोग बाध्य नहीं होगा तथा इस आधार पर कोई भी अभ्यर्थी आपत्ति प्रस्तुत नहीं कर सकेगा।

(5) आवेदक स्वयं अपने घर से या इंटरनेट कैफे के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन भरकर पोर्टल शुल्क का भुगतान, निर्धारित भुगतान विकल्प चुनकर, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई या अन्य उपलब्ध माध्यम से कर सकते हैं।

(6) ऑनलाइन आवेदन करते समय ध्यान रखना चाहिए कि जानकारी जो ऑनलाइन आवेदन में चाही गई है की सही-सही प्रविष्टि की जाए।

(7) आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया में यह समझ लिया गया है कि, आवेदक द्वारा जो जानकारी ऑनलाइन आवेदन में अंकित की जा रही है वह प्रमाणित जानकारी है। अतः ऑनलाइन आवेदन Submit करने के पूर्व आवेदक अपने आवेदन की समस्त प्रविष्टियों को सावधानीपूर्वक भलीभांति पढ़ एवं समझ लें। आवेदक अपने द्वारा दी गई जानकारी से संतुष्ट होने के पश्चात् ही ऑनलाइन आवेदन को Submit करें तथा आवेदन व/अथवा पोर्टल शुल्क जमा करें।

(8) ऑनलाइन आवेदन Submit करने तथा आवेदन व/अथवा पोर्टल शुल्क जमा करने के बाद अभ्यर्थी को अपने ऑनलाइन आवेदन तथा भुगतान की रसीद प्राप्त होगी। जिन्हें प्रिंट कर अभ्यर्थी अपने पास सुरक्षित रखें। चयन प्रक्रिया के आगे के चरणों में मांगे जाने पर उक्त को आयोग के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन की प्रति तथा/अथवा भुगतान की रसीद उपलब्ध कराने हेतु आयोग को प्रेषित अभ्यावेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।

- (9) ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार व सशुल्क त्रुटि सुधार का कार्य निर्धारित तिथि में ऑनलाइन किया जा सकेगा। त्रुटि सुधार व सशुल्क त्रुटि सुधार केवल एक बार ही किया जा सकेगा। सशुल्क त्रुटि सुधार की अंतिम तिथि के पश्चात् ऑनलाइन आवेदन की प्रविष्टि में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जाएगा तथा इस संबंध में आयोग किसी भी अभ्यावेदन पर विचार नहीं करेगा।
- (10) आवेदक यह ध्यान रखें कि विज्ञापित पद के आवेदन पत्र में हुई किसी भी त्रुटि का सुधार चयन के किसी भी स्तर पर नहीं किया जा सकेगा। अतः अभ्यर्थी अपना आवेदन अत्यंत सावधानी पूर्वक भरें। यदि फिर भी कोई त्रुटि होती है तो त्रुटि सुधार व/या सशुल्क त्रुटि सुधार की अवधि में वांछित सुधार कर लें।
- (11) **ऑनलाईन आवेदन/त्रुटि सुधार हेतु पोर्टल शुल्क:-**
- (i) प्रत्येक ऑनलाइन आवेदक के लिए निर्धारित पोर्टल शुल्क + जीएसटी शुल्क देय होगा।
- (ii) ऑनलाइन आवेदन की प्रविष्टियों में किसी प्रकार की त्रुटि होने पर आवेदक द्वारा त्रुटि सुधार तथा सशुल्क त्रुटि सुधार निर्धारित तिथियों में केवल एक बार किया जा सकता है।
- (iii) पोर्टल शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापसी योग्य नहीं है।

नोट:-

- (i) आवेदक ऑनलाईन आवेदन की प्रति तथा आवेदन व/अथवा पोर्टल शुल्क भुगतान की रसीद में दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ लें और अपने पास संभालकर रखें तथा यह सुनिश्चित कर लें कि आवेदन व/अथवा पोर्टल शुल्क का भुगतान सफलतापूर्वक हो गया है।
- (ii) जानकारी की शुद्धता एवं सत्यता तथा आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने का पूरा उत्तरदायित्व आवेदक का होगा।
- (iii) किसी भी साइबर कैफे अथवा अन्य संस्थान के माध्यम से आवेदन करते समय आवेदक ऑनलाईन आवेदन की प्रक्रिया अपनी निगरानी में ही करवाएं। ऑनलाईन आवेदन में हुई किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आवेदक साइबर कैफे अथवा अन्य संस्थान अथवा आयोग को उत्तरदायी नहीं ठहरा सकेगा।
- (iv) कार्ड/नेटबैंकिंग/यूपीआई या अन्य किसी भी उपलब्ध माध्यम से किसी भी शुल्क के भुगतान (यदि कोई हो) की प्रक्रिया में यदि संबंधित बैंक द्वारा किसी प्रकार का सेवा शुल्क लिया जाता है तो उसके भुगतान का दायित्व आवेदक का होगा। आवेदक ऑनलाईन बैंकिंग के दौरान फिशिंग/हैंकिंग अथवा अन्य साइबर गतिविधि से बचने के लिए स्वयं जिम्मेदार होंगे।
- (v) ऐसे आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे जिन्हें ऑनलाईन भरने के बाद प्रिंट लेकर छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग को डाक या किसी अन्य माध्यम से भेजा जाएगा। आवेदन व/अथवा पोर्टल शुल्क के लिए किसी भी प्रकार का ड्राफ्ट भी स्वीकार नहीं होगा। ऐसा करने पर आवेदन को मान्य न करते हुए निरस्त कर दिया जाएगा और उसकी जिम्मेदारी आवेदक की ही मानी जाएगी।

प्रवेश पत्र व साक्षात्कार हेतु बुलावा पत्र:-

- (1) प्रवेश पत्र/साक्षात्कार हेतु बुलावा पत्र परीक्षा/साक्षात्कार के लगभग 10 दिन पूर्व अपलोड किए जाएंगे एवं इसकी सूचना पृथक से नहीं दी जाएगी।
- (2) प्रवेश पत्र/साक्षात्कार हेतु बुलावा पत्र व्यक्तिगत रूप से नहीं भेजे जाएंगे अपितु केवल आयोग की वेबसाइट www.psc.cg.gov.in पर उपलब्ध होंगे। इस संबंध में किया गया कोई भी पत्राचार मान्य नहीं होगा।
- (3) किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा/साक्षात्कार में तब तक प्रवेश नहीं दिया जाएगा जब तक कि उसके पास आयोग द्वारा जारी किया गया प्रवेश पत्र/साक्षात्कार हेतु बुलावा पत्र न हो।
- (4) अभ्यर्थी को परीक्षा/साक्षात्कार में प्रवेश पत्र के साथ **ID Proof** हेतु मतदाता पहचान पत्र/पासपोर्ट/ड्राइविंग लाइसेंस/पैन कार्ड/आधार कार्ड/स्मार्ट कार्ड (राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर की योजना के तहत आरजीआई द्वारा जारी)/स्वास्थ्य बीमा योजना स्मार्ट कार्ड फोटो सहित (श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी)/जॉब कार्ड फोटो सहित (एनआरईजीए योजना के तहत)/सेवा पहचान पत्र फोटो सहित (राज्य/केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्थानीय निकाय, पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी)/पासबुक एवं किसान पासबुक फोटो सहित (सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक/डाकघर द्वारा जारी)/छात्र पहचान पत्र (स्कूलों/कालेजों द्वारा जारी)/बीपीएल परिवार को जारी राशन कार्ड/संपत्ति के दस्तावेज फोटो सहित जैसे-पट्टा, पंजीकृत डिड्स/एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी. प्रमाण पत्र फोटो सहित (सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी)/फोटो सहित पेंशन दस्तावेज, भूतपूर्व सैनिकों की पेंशन किताब, भूतपूर्व सैनिकों की विधवा या आश्रित प्रमाण पत्र, वृद्धावस्था पेंशन आदेश, विधवा पेंशन आदेश/शारीरिक विकलांग प्रमाण पत्र फोटो सहित में से एक दस्तावेज लाना आवश्यक होगा, इसके अभाव में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
- (5) यदि प्रवेश पत्र/साक्षात्कार हेतु बुलावा पत्र पर मुद्रित फोटो व हस्ताक्षर अथवा दोनों अस्पष्ट या अवैध हो तो प्रवेश पत्र पर निर्देशानुसार कार्यवाही न करने पर केन्द्राध्यक्ष/जांच अधिकारी अभ्यर्थी को परीक्षा/साक्षात्कार में सम्मिलित होने से वंचित कर सकेंगे।

कार्यालय कलेक्टर (आदिवासी विकास)

गौरैला-पेण्ड्रा-मरवाही (छ.ग.)

दूरभाष क्र. 07751 220658 Email - emrsgaurelapendramarwahi@gmail.com

क्रमांक/EMRS/प्रवेश/2024-25/2844 गौरैला-पेण्ड्रा-मरवाही, दिनांक 13/12/2024

जिले में संचालित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में शिक्षण सत्र 2025-26 के लिए कक्षा 6वीं में प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन तिथि में संशोधन की सूचना

कार्यालय आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, ब्लॉक-5 डी, इन्द्रावती भवन, अटल नगर, नवा रायपुर के सूचना क्रमांक / EMRS/456-पार्ट/2024-25/9915 नवा रायपुर, दिनांक 10.12.2024 के द्वारा एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में वर्ष 2025-26 में कक्षा 6 वीं में प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन के लिए निम्नानुसार तिथियों में संशोधन किया गया है-

क्र.	विवरण	तिथि
1	ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि	दिनांक 31 दिसम्बर 2024 तक (रात्रि 11:59 बजे तक)
2	ऑनलाइन भरे गये फॉर्म में त्रुटि सुधार की तिथि	दिनांक 01 जनवरी 2025 से 08 जनवरी 2025 तक (रात्रि 11:59 बजे तक)
3	प्रवेश परीक्षा की तिथि	दिनांक 16 फरवरी 2025 दिन रविवार

विद्यार्थी के प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन फॉर्म संबंधित विकासखण्ड के एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय डोंगरिया/लाटा / नेवसा में संपर्क कर निर्धारित समय अवधि में निःशुल्क भरा जा सकता है। कक्षा में प्रवेश हेतु नियमावली एवं प्रवेश नीति 2025-26 का अवलोकन तथा ऑनलाइन पंजीयन वेबसाइट www.eklavya.cg.nic.in पर किया जा सकता है।

सहायक आयुक्त
आदिवासी विकास

आर.ओ.211/जी-242504607.4

गौरैला-पेण्ड्रा-मरवाही (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग

नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)

क्रमांक/4759/91/विज्ञापन/2020 नवा रायपुर, दिनांक: 20/12/2024

शुद्धि पत्र प्राध्यापक (उच्च शिक्षा विभाग) - 2021

शुद्धि पत्र क्रमांक 05/2024/परीक्षा/दिनांक 20/12/2024

(1) प्राध्यापक (उच्च शिक्षा विभाग) पद हेतु विज्ञापन क्रमांक 07/2021/परीक्षा/दिनांक 02.09.2021 जारी कर अभ्यर्थियों से दिनांक 13/09/2021 से 12/10/2021 तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे। उच्च शिक्षा विभाग के पत्र दिनांक 05/10/2021 द्वारा विज्ञापन की प्रक्रिया को स्थगित किया गया था। पुनः प्राध्यापक पद हेतु शुद्धि पत्र क्रमांक 03/2024/परीक्षा/दिनांक 07/08/2024 द्वारा ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की तिथि 08/08/2024 से 06/09/2024 तक निर्धारित था। ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार का कार्य आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद दिनांक 07/09/2024 मध्याह्न 12:00 बजे से दिनांक 13/09/2024 रात्रि 11:59 बजे तक निर्धारित किया गया था।

(2) ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने पूर्व में दिनांक 13/09/2021 से 12/10/2021 तक आवेदन किया था उन्हें उक्त त्रुटि सुधार अवधि में ऑनलाइन आवेदन में वांछित प्रविष्टियां कर नवीन फोटो व हस्ताक्षर अपलोड किया जाना था। इस अवधि में कई अभ्यर्थी अपने ऑनलाइन आवेदन में वांछित प्रविष्टियां नहीं कर सके जिसके कारण अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नहीं किया गया। उनमें से कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा आयोग को अभ्यावेदन प्रस्तुत कर दस्तावेज सत्यापन में शामिल किए जाने का अनुरोध किया गया है।

(3) ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने प्राध्यापक पद हेतु पूर्व में आवेदन किया था जिन्होंने शुद्धि पत्र के अनुसार ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार अवधि 07/09/2024 से 13/09/2024 के मध्य अपने पूर्व के ऑनलाइन आवेदन में वांछित प्रविष्टियां कर नवीन फोटो व हस्ताक्षर अपलोड नहीं किया था, ऐसे अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन हेतु आहूत नहीं किया गया है, ऐसे अभ्यर्थियों के लिए पुनः आवेदन में वांछित प्रविष्टियां करने एवं नवीन फोटो व हस्ताक्षर अपलोड करने का अवसर दिया जा रहा है।

(4) पुनः ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार (निःशुल्क) का कार्य दिनांक 21/12/2024 मध्याह्न 12:00 बजे से दिनांक 27/12/2024 रात्रि 11:59 बजे तक निर्धारित किया जाता है।

(5) विज्ञापन क्रमांक 07/2021/परीक्षा/दिनांक 02.09.2021 की शेष समस्त शर्तें/कण्डिकाएं यथावत रहेंगी।

सही-

सचिव

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग

नवा रायपुर अटल नगर

आर.ओ.212/जी-242504775.5

कार्यालय आयुक्त आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास

ब्लॉक डी इन्द्रावती भवन, अटल नगर, नवा रायपुर (छत्तीसगढ़)

क्रमांक / प्रयास / 160/2024-25/10362

नवा रायपुर, दिनांक 16/12/2024

मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजनांतर्गत प्रदेश के आदिवासी उपयोजना क्षेत्र तथा नक्सल प्रभावित क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए प्रयास आवासीय विद्यालयों के कक्षा 9वीं (सत्र 2025-26) में प्रवेश हेतु ऑनलाइन सूचना का प्रकाशन।

मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना अंतर्गत प्रदेश के अधिसूचित क्षेत्रों, आदिवासी उपयोजना क्षेत्र तथा नक्सल पीड़ित / प्रभावित क्षेत्रों में स्थित शालाओं में अध्ययनरत प्रतिभावान विद्यार्थियों को कक्षा 9वीं से 12वीं तक उत्कृष्ट स्कूली शिक्षा के साथ-साथ राष्ट्रीय स्तर की मेडिकल, इंजीनियरिंग, सीए, सीएस, सीएमए, क्लैट तथा एनडीए की प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होने हेतु सघन तैयारी करायी जाती है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु राज्य में प्रयास आवासीय विद्यालय स्थापित किए गए हैं।

वर्ष 2025-26 में इन विद्यालयों के कक्षा 9वीं में प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र मंगाये जाने के संबंध में महत्वपूर्ण तिथियों का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	विवरण	तिथि एवं समय
1	ऑनलाइन आवेदन पत्र भरना प्रारंभ करने की तिथि	19/12/2024
2	ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि	20/01/2025 (रात्रि 12:00 बजे तक)
3	ऑनलाइन भरे गये आवेदन पत्र में त्रुटि सुधार	21/01/2025 से 27/01/2025 तक (रात्रि 12:00 बजे तक)
4	जिला स्तर पर दस्तावेजों का परीक्षण	28/01/2025 से 07/02/2025 तक
5	प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की तिथि	पृथक से दी जायेगी
6	प्रवेश हेतु प्राक्चयन परीक्षा की तिथि	पृथक से दी जायेगी
7	ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने हेतु लिंक	https://eklavya.cg.nic.in/PRSMS/Student-Admission-Detail

उक्त संबंध में आवेदन पत्र एवं अन्य जानकारी विभागीय वेबसाइट <https://eklavya.cg.nic.in/PRSMS/Student-Admission-Detail> एवं जिले के सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास / परियोजना प्रशासक कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं।

(आर एस. भोई)

अपर संचालक

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास,
अटल नगर, नवा रायपुर, छत्तीसगढ़

आर.ओ.213/जी-242504652.6

कार्यालय, अधिष्ठाता

स्व.बिसाहू दास महंत स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, कोरबा (छ.ग.)

Website: www.abdmsem.edu.in, J-mail: gmchorhs@gmail.com

क्रं एफ-054/चिकि.महा./संविदा/स्था./2024/10489/10490 कोरबा, दिनांक/13/12/2024

-: सूचना :-

स्व.बिसाहू दास महंत स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय कोरबा में रिक्त पदों के विरू चिकित्सा शिक्षकों/चिकित्सकों की संविदा भर्ती हेतु विज्ञापन क्रमांक एफ-054/चिकि.महा. संविदा/विज्ञापन/2024/ 10165 कोरबा दिनांक 22/11/2024 के द्वारा विज्ञापन जारी किया गया है। उक्त संदर्भित विज्ञापन पत्र में केवल डेंटल विभाग हेतु विज्ञापित पद संख्या-सह-प्राध्यापक के 01 पद, सहायक प्राध्यापक के 01 पद तथा सीनियर रेसिडेंट के 01 पद की संविदा भर्ती अपरिहा कारणों से निरस्त किया जाता है।

अधिष्ठाता स्व.बिसाहू दास महंत स्मृति

चिकित्सा महाविद्यालय

कोरबा (छ.ग.)

आर.ओ.214/जी-242504585/4

**कार्यालय, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जगदलपुर, जिला बस्तर (छ.ग.)**

कार्या. दूरभाष क्रमांक 07782-222281, ई-मेल cmhobastar@gmail.com

// संविदा नियुक्ति विज्ञापन शुद्धि पत्र //

कार्यालय, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जगदलपुर, जिला-बस्तर के विज्ञापन क्र./मु.चि.स्वा.अ./रा.स्वा.मि./स्था./2024/6446... जगदलपुर, दिनांक 03/12/2024 द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत बस्तर जिले में रिक्त विभिन्न संविदा पदों पर संविदा नियुक्ति हेतु विज्ञापन शुद्धि पत्र जारी किया गया है।

कार्यालय द्वारा विज्ञापन शुद्धि पत्र से संबंधित समस्त जानकारी कार्यालय, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जगदलपुर, के सूचना पटल एवं जिले के वेबसाइट www.bastar.gov.in पर उपलब्ध कराई गई है।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
जगदलपुर, जिला-बस्तर (छ.ग.)

आर.ओ.215/जी-242504636.5

**कार्यालय प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, चारामा
पता-बाबूकोहका पो. खरथा व्हाया लखनपुरी जिला उ.ब. कांकेर छ.ग.
email-iticharama2012@gmail.com**

// भर्ती सूचना //

शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था चारामा में संचालित व्यवसाय-मेकेनिक डीजल में सत्र- 2024-25 में प्रशिक्षण कार्य संपन्न कराने हेतु स्वीकृत प्रशिक्षण अधिकारी के रिक्त पद के विरुद्ध मेहमान प्रवक्ता हेतु आवेदन निर्धारित प्रारूप में दिनांक 31.12.2024 को सायं 05:00 बजे तक कार्यालय प्राचार्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था चारामा के नाम स्पीड पोस्ट/रजिस्टर्ड / सामान्य डाक के माध्यम से अथवा स्वयं उपस्थित होकर आवेदन जमा कर सकते हैं। इच्छुक आवेदक एनआईसी कांकेर के वेबसाइट www.kanker.gov.in पर जाकर विज्ञापन की विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

(विजिया मण्डावी)

आर.ओ.217/जी-242504717.4

प्राचार्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, चारामा



MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT AND TECHNOLOGY
Maharishi Road, Mangla, Bilaspur [C.G.] - 495001
Ph. No. 07752-414301, Email: mumt.registrar1@gmail.com, www.mumt.org

Date : 17.12.2024

// Faculties Required //

For Professor, Associate Professor and Assistant Professor in the following departments:-

Departments	Professor	Associate Professor	Assistant Professor
Department of Education	2	3	6
Department of Arts and Humanities	0	0	2
Department of Computer Science and IT	1	2	12
Department of Commerce & Management	1	2	3
Department of Library Science	1	2	3
Department of Sociology	1	1	4
Department of Jyotish	1	2	3
Department of Yoga	1	1	3
Total	8	13	36

Qualification and Experience : As per UGC/AICTE/NCTE/CGPURC/ University norms. Send your bio-data along with educational mark sheets and experience certificates through E-mail :- maharishi.hrd@gmail.com on or before **10th January 2025**.

Contact No. 7898984428, 7898984434

कार्यालय प्राचार्य

शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, कुरूद, धमतरी

पता:-चरमुड़िया रोड रेलवे स्टेशन, कुरूद, जिला-धमतरी 493663

ई-मेल:-itikurud@rediffmail.com

क्रमांक/औ.प्र.सं/कु./स्थाप./मे.प्र./2024/3432

कुरूद, दिनांक 16/12/2024

// भर्ती सूचना //

जिला धमतरी छत्तीसगढ़ के शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था कुरूद में प्रशिक्षण स: 2024-25 के लिए व्यवसाय- स्टेनो (अंग्रेजी) के प्रशिक्षण कार्य पूर्ण कराये जाने हेतु स्वीकृत पद के रिक्त पद के विरुद्ध मेहमान प्रवक्ता (गेस्ट लेक्चरर) के लिये आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में दिनांक 03.01.2025 को समय प्रातः 10:00 बजे से दोपहर 03:00 बजे तक आमंत्रित किये जा रहे हैं इच्छुक अभ्यर्थी अपना आवेदन पत्र शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था कुरूद में निर्धारित समयावधि में स्वयं उपस्थित होकर जमा कर सकते हैं।

विज्ञापन विवरण जिला धमतरी की वेबसाइट एवं संस्था के सूचना पटल पर देखा जा सकता है।

प्राचार्य/नोडल अधिकारी

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, कुरूद

आर.ओ.216/जी-242504638.4

जिला-धमतरी (छ.ग.)

**कार्यालय जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी
(महिला एवं बाल विकास विभाग)**

जिला-मोहला-मानपुर-अं.चौकी (छ.ग.)

दूरभाष क्रमांक : 07747-299067, Email ID -mbvv.mohla@gmail.com

क्रमांक /750/स्था. / म.बा.वि./ 2024-25

मोहला दिनांक 03/12/2024

सखी वन स्टॉप सेंटर के संचालन हेतु सेवा प्रदाताओं के भर्ती हेतु विज्ञापन

भारत शासन द्वारा एकीकृत महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम अंतर्गत अम्ब्रेला स्कीम के रूप में योजना मिशन शक्ति दिनांक 01.04.2022 से लागू किया गया है मिशन शक्ति अम्ब्रेला योजनांतर्गत दो उपयोजना संबल एवं सामर्थ शामिल है। संबल उपयोजना अंतर्गत सखी वन स्टॉप सेंटर योजना सम्मिलित है। जिला मोहला-मानपुर-अं.चौकी को संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग के पत्र क्रमांक /10478/मबावि/मसमि /सखी-4/2024-25 नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2024 द्वारा केन्द्र संचालन हेतु स्वीकृति प्राप्ति उपरांत विज्ञापन प्रसारित किये जा रहे हैं।

उक्त पदों हेतु आवेदन पंजीकृत डाक / स्पीड पोस्ट / कोरियर के माध्यम से दिनांक 29/12/2024 सायं 05:00 बजे तक कार्यालय जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला मोहला-मानपुर-अं.चौकी लाल श्यामशाह कॉलेज रोड के पते पर आमंत्रित किये जाते हैं।

सखी वन स्टॉप सेंटर के संचालन हेतु सेवा प्रदाताओं के भर्ती संबंधी विस्तृत विवरण पृथक से परिशिष्ट-1 में संलग्न है।

जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी

जिला-मोहला-मानपुर-अं.चौकी (छ.ग.)

**कार्यालय, छत्तीसगढ़ राज्य आयुष सोसायटी, राष्ट्रीय आयुष
मिशन संचालनालय आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा,**

यूनानी सिद्ध एवं होम्योपैथी (आयुष)

इन्द्रावती भवन, तृतीय तल, ब्लॉक-1, अटल नगर नवा रायपुर छत्तीसगढ़

दूरभाष क्रमांक 0771-14052949 ई-मेल cgnamoffice@gmail.com

क्रमांक/07/02/रा.आ.मि./2024-25/5792

रायपुर, दिनांक 19 DEC 2024

// विज्ञापन सूचना //

विषयान्तर्गत लेख है, कि राष्ट्रीय आयुष मिशन अंतर्गत संचालित विभिन्न गतिविधियों कार्यक्रमों के तहत स्वीकृत कार्यालय राज्य आयुष सोसायटी, संचालनालय आयुष तथा अधिनस्त संस्था / जिलों में संविदा के आधार पर (एकमुश्त संविदा वेतन) फिजियोथेरेपिस्ट (अंशकालिक 18 पद के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु कार्यालय राज्य आयुष सोसायटी द्वारा निर्धारित अर्हता अनुरूप इच्छुक अभ्यर्थियों के आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं।

अभ्यर्थी विज्ञापन संबंधित विस्तृत जानकारी, नियम एवं शर्तों का विवरण तथा आवेदन पत्र का प्रारूप विभागीय वेबसाइट <http://ayush.cg.gov.in> एवं www.cghealth.nic.in से प्राप्त (डाउनलोड) कर सकते हैं। इच्छुक अभ्यर्थी दिनांक 06.01.2025 तक सांथ 5.00 ब तक अपने सम्पूर्ण दस्तावेजों के साथ निर्धारित प्रारूप में आवेदन-पत्र पंजीकृत डाक / स्पीड पोस्ट के माध्यम से कार्यालय, राष्ट्रीय आयुष मिशन संचालनालय आयुष, इन्द्रावती भवन, तृतीय तल ब्लॉक 1. अटल नगर नवा रायपुर, छत्तीसगढ़ के पते पर भेज सकते हैं।

सदस्य सचिव कार्यकारी समिति राज्य

आयुष सोसायटी एवं संचालक आयुष (छत्तीसगढ़)

संचालनालय महिला एवं बाल विकास, छत्तीसगढ़

इन्द्रावती भवन, ब्लॉक-1, द्वितीय तल, नवा रायपुर, अटल नगर

दूरभाष क्रमांक 0771-2234192, 2234188 (Fax) email: dirwcd.cg@nic.in

क्र./11804/मबावि/2024-25

नया रायपुर, दिनांक 23/12/2024

मिशन शक्ति अंतर्गत महिला सशक्तिकरण केन्द्र के राज्य स्तरीय पदों पर कर्मचारियों की भर्ती के सम्बन्ध में विज्ञापन

भारत सरकार ने एकीकृत महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम अंतर्गत महिलाओं की सुरक्षा एवं बचाव हेतु एक अम्ब्रेला योजना 'मिशन शक्ति' की शुरुआत की है। मिशन शक्ति के अंतर्गत सभी आने वाली योजनाओं का क्रियान्वयन एवं संचालन हेतु राज्य स्तर पर राज्य स्तरीय महिला सशक्तिकरण केन्द्र (State Hub for Empowerment of Women) स्थापित है। राज्य स्तरीय महिला संसाधन केन्द्र के 02 पदों पर एकमुश्त / संविदा मासिक वेतन पर भर्ती के लिए पात्र आवेदकों से दिनांक 23.12.2024 से 24.01.2025 तक आवेदन आमंत्रित है। पदों एवं आवेदन प्रक्रिया का विवरण निम्नानुसार है-

क्र	पदनाम	पद संख्या			वेतन मैट्रिक्स लेवल	निर्धारित एकमुश्त / संविदा मासिक वेतन (प्रतिमाह)	चयन प्रक्रिया	अधिकतम आयु
		UR	ST	योग				
1	जेण्डर विशेषज्ञ	0	01	01	10	31450/-	सीधी भर्ती- एकमुश्त	45 वर्ष
2	अनुसंधान एवं प्रशिक्षण विशेषज्ञ	0	01	01	09	27740/-	वेतन/संविदा वेतन	45 वर्ष

* छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आयु सीमा पर छूट के आलोक में अधिकतम आयु 50 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

आवेदन प्रपत्र तथा पद क्रमांक 1 एवं 2 तक के पदों पर चयन हेतु शैक्षणिक योग्यता, वेतन भत्ते अन्य सुविधाएं, चयन हेतु आर्हता, मापदंड एवं अन्य शर्तें, आयु सीमा, अनुभव, कार्य दायित्व, चयन प्रक्रिया एवं अन्य विवरण - www.cgstate.gov.in and www.cgwcd.gov.in वेबसाइट पर उपलब्ध है :-

विज्ञापन में दिये प्रारूप अनुसार टंकित कराया जाकर निर्धारित प्रारूप में भरे हुए आवेदन पत्र डाक/कूरियर द्वारा दिनांक 24.01.2025 की संध्या 5:00 बजे तक आयुक्त, संचालनालय, महिला एवं बाल विकास विभाग, इन्द्रावती भवन, ब्लॉक-1, द्वितीय तल नया रायपुर 492002 को पंजीकृत डाक / स्पीड पोस्ट / कूरियर के माध्यम से ही प्रेषित किये जावे।

राज्य महिला सशक्तिकरण केन्द्र (State HUB for Empowerment of Women) के पदों पर चयन हेतु योग्यता, वेतन भत्ते सुविधाएं, आर्हताएं एवं अन्य नियम व शर्तें :-

1. विज्ञापित पदों का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र	पदनाम	पद संख्या			वेतन मैट्रिक्स लेवल	निर्धारित एकमुश्त / संविदा मासिक वेतन (प्रतिमाह)	चयन प्रक्रिया
		UR	ST	योग			
1	जेण्डर विशेषज्ञ	0	01	01	10	31450/-	सीधी भर्ती- एकमुश्त
2	अनुसंधान एवं प्रशिक्षण विशेषज्ञ	0	01	01	09	27740/-	वेतन/संविदा वेतन

2. इन पदों पर शैक्षणिक योग्यता, अनिवार्य कौशल, अनिवार्य अनुभव का विवरण :-

क्र	पदनाम	अनिवार्य न्यूनतम शैक्षणिक अनिवार्य कौशल योग्यता	अनिवार्य कौशल	अनिवार्य न्यूनतम अनुभव	वांछनीय योग्यता
1	जेण्डर विशेषज्ञ	सामाजिक कार्य/अन्य सामाजिक क्षेत्रों में स्नातकोत्तर डिग्री (एम.ए. समाज शास्त्र, एम.एस.डब्ल्यू. एम.बी.ए. रूरल मैनेजमेंट एवं अन्य सामाजिक क्षेत्र से संबंधित विषय में अपेक्षित डिग्री)	कम्प्यूटर का ज्ञान, जिसमें एम.एस.ऑफिस एवं कम्प्यूटर टाईपिंग (हिंदी/अंग्रेजी) में कार्य करने की क्षमता	जेण्डर से संबंधित कार्यों का शासकीय/ अर्द्धशासकीय / गैर सरकारी संगठन के साथ कम से कम 02 वर्ष का जेण्डर केन्द्रित विषय पर कार्यानुभव	अंग्रेजी भाषा का ज्ञान।

क्र	अनुसंधान एवं प्रशिक्षण विशेषज्ञ	सामाजिक कार्य/अन्य सामाजिक क्षेत्रों में स्नातक डिग्री	कम्प्यूटर का ज्ञान एवं एम.एस. ऑफिस/एस.पी. एस.एस. सॉफ्टवेयर में कार्य करने की क्षमता	महिलाओं से संबंधित प्रशिक्षण एवं शोध कार्यों का शासकीय / अर्द्धशासकीय/गैर सरकारी संगठन में कम से कम 02 वर्षों का अनुभव	स्नातकोत्तर डिग्री धारक को प्राथमिकता। अंग्रेजी भाषा का ज्ञान। महिलाओं से संबंधित विषय पर अनुसंधान रिपोर्ट / पेपर प्रकाशन।
-----	---------------------------------	--	---	--	--

शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त संस्था / विश्वविद्यालय से होने पर ही मान्य किया जायेगा। निर्धारित शैक्षणिक अर्हता आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम दिनांक तक आवश्यक रूप से प्राप्त होना चाहिए।

उपरोक्त उल्लेखित योग्यता ना रखने वाले उम्मीदवार आवेदन ना करें।

3. वेतन भत्ते, अन्य सुविधाओं का विवरण -

यह पद भारत शासन की मिशन शक्ति अंतर्गत योजना के पद हैं, भारत शासन के दिशा-निर्देश के अनुसार एवं दी जा रही वित्तीय सहायता अवधि तक ही तथा निर्धारित संविदा (एकमुश्त) वेतन पर होंगे।

पदों हेतु वेतन संबंधी विवरण उपरोक्तानुसार विज्ञापन में कॉलम क्रमांक 7 पर उल्लेखित एकमुश्त संविदा वेतन देय होगा तथा संविदा वेतन के अतिरिक्त कोई भी अन्य वेतन/भत्ते की पात्रता नहीं होगी। सेवा समाप्ति के उपरांत नियुक्त कर्मचारी को किसी भी प्रकार के पेंशन, उपादान, भत्ता एवं मृत्यु लाभ इत्यादि की पात्रता नहीं होगी।

इन कर्मियों को अवकाश सुविधा तथा यात्रा भत्ता की पात्रता संविदा नियम 2012 (यथा संशोधित समय-समय पर) अनुसार ही देय होगी।

4. आयु सीमा :-

आयु की गणना दिनांक 01.01.2025 की स्थिति में की जाएगी।

जेण्डर विशेषज्ञ, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण विशेषज्ञ हेतु अभ्यर्थी की आयु 01.01. 2025 को 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो। इसके अतिरिक्त छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी को आयु सीमा में छूट के संबंध में राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप छूट की पात्रता होगी किंतु सभी छूटों को मिलाकर अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

आयु के सत्यापन / समर्थन हेतु जन्म प्रमाण-पत्र या कक्षा 8वीं, 10वीं की अंक सूची, जिसमें जन्म तिथि अंकित हो, के आधार पर किया जावेगा। दस्तावेज सत्यापन के समय मूल प्रति एवं स्वप्रमाणित प्रति लाना अनिवार्य होगा।

5. नियुक्ति हेतु छत्तीसगढ़ निवासी संबंधी मापदंड :-

जेण्डर विशेषज्ञ, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण विशेषज्ञ के पद हेतु छत्तीसगढ़ राज्य का निवासी होना अनिवार्य नहीं है किंतु छत्तीसगढ़ राज्य के निवासियों के आवेदन करने पर उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी, इस हेतु मेरिट निर्धारण में अंकीय प्रणाली में छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों को, इन पदों हेतु 02 बोनस अंक दिया जाएगा।

6. आरक्षित वर्ग हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

7. कोई भी उम्मीदवार, जिसने विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा / होगी। चयन होने की स्थिति में चयनित अभ्यर्थी को ₹. 50/- के स्टॉम्प पेपर पर नोटरी द्वारा अभिप्रमाणित तत्संबंधी शपथ-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

8. उम्मीदवार जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो, जिसकी पहले से ही एक पति/पत्नी जीवित हो, पात्र नहीं होगा/होगी।

9. आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में जमा किया जावे। आवेदन पत्र के साथ वांछित प्रमाण-पत्र एवं अंकसूची व अन्य दस्तावेज स्वयं द्वारा अभिप्रमाणित / सत्यापित होना चाहिए।

10. अनुभव के संबंध में अभ्यर्थी को संबंधित संस्था के नियोक्ता/कार्यालय प्रमुख द्वारा जारी पूर्णकालिक कार्यानुभव प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा।

11. आवेदक द्वारा आवेदन में दिए गए अनुभव को मान्य करने के संबंध में नियुक्ति अधिकारी (आयुक्त / संचालक) का निर्णय ही अंतिम होगा।

12. किसी भी प्रकार का स्वैच्छिक सेवा का प्रमाण-पत्र अनुभव के रूप में मान्य नहीं किया जावेगा।

13. शासकीय / अर्द्धशासकीय / गैर सरकारी संगठन में कार्यरत कर्मचारियों को नियोक्ता / कार्यालय प्रमुख के अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा, अन्यथा आवेदन

क्रमशः

पत्र विचारणीय नहीं होगा। लिखित परीक्षा/समूह चर्चा/स्कूल टेस्ट में भाग लेने वाले अभ्यर्थी को किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता/व्यय भत्ता देय नहीं होगा।

- अपूर्ण, अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्रों के संबंध में उम्मीदवारों को पृथक से कोई सूचना नहीं दी जावेगी एवं ऐसे आवेदन पत्र अमान्य कर दिये जायेंगे। निर्धारित योग्यता न रखने वाले उम्मीदवार आवेदन न करें।
- प्रत्येक पद के लिए पृथक-पृथक आवेदन देना होगा। लिफाफे के ऊपर एवं आवेदन पत्र में पद का नाम, जिसके लिये आवेदन किया जा रहा है, स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए अन्यथा आवेदन निरस्त किया जा सकता है। लिफाफे के ऊपर व आवेदन पत्र में प्रेषक का नाम एवं पत्र व्यवहार का पूर्ण पता (ई-मेल एड्रेस एवं मोबाईल नंबर सहित) आवश्यक रूप से अंकित होना चाहिए।
- आवेदक अपनी अर्हता की जाँच स्वयं कर ले तथा विज्ञापित पद के लिये निर्धारित अर्हता एवं शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भेजे। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अयोग्य पाये जाने पर उनका आवेदन पत्र निरस्त कर उनकी उम्मीदवारों समाप्त की जा सकेगी।
- उपरोक्तानुसार अर्हता के आधार पर आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे तथा अंकीय प्रणाली के आधार पर मैरिट तैयार करते हुए वॉक-इन-इंटरव्यू एवं कौशल परीक्षा (आवश्यक हो तो) के आधार पर चयन की प्रक्रिया की जाएगी। अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता में शिथिलता नहीं दी जावेगी।
- कौशल परीक्षा/वॉक-इन-इंटरव्यू में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता/अन्य भत्ता देय नहीं होगा।
- योजना के अंतर्गत एकमुश्त संविदा वेतन पर नियुक्त कर्मी छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 से शासित होंगे तथा इन नियमों का पालन करने बाध्य होंगे।

20. नियुक्ति की अवधि :-

इन समस्त पदों पर प्रथम बार में नियुक्ति संविदा/ एकमुश्त वेतन पर 02 वर्ष की अवधि के लिए की जाएगी। तत्पश्चात् योजना संचालन की निरंतरता, कार्य योग्यता, कार्य क्षमता एवं व्यवहार तथा विभाग की आवश्यकता के आधार पर एवं संविदा नियुक्त व्यक्ति की उपयुक्तता का आंकलन कर सेवा अवधि 01 वर्ष के लिए बढ़ाए जाने का निर्णय आयुक्त/ संचालक द्वारा लिया जाएगा। अन्यथा संविदा सेवा की अवधि की समाप्ति पर एवं न बढ़ाए जाने पर नियुक्ति स्वयंमेव समाप्त माना जायेगा।

चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी एवं बिना कारण बताये भी समाप्त की जा सकती है। संविदा अवधि के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह पूर्व सूचना या उसके एवज में एक माह का वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकती है।

इन पदों की अवधि भारत शासन द्वारा योजना संचालन की अवधि तक ही सीमित होगी एवं तदोपरान्त पद समाप्त कर दिये जायेंगे। पद समाप्ति के उपरान्त इन पदों पर कार्यरत कर्मियों की विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी न ही कोई स्वत्वों का भुगतान किया जाएगा।

21. उपरोक्त पदों पर चयन की प्रक्रिया निम्नानुसार रहेगी :-

पदनाम	शैक्षणिक योग्यता	चयन प्रक्रिया
1. जेडर विशेषज्ञ	<ul style="list-style-type: none"> सामाजिक कार्य/अन्य सामाजिक क्षेत्रों में स्नातकोत्तर डिग्री जेण्डर से संबंधित कार्यों का शासकीय/अर्द्धशासकीय/गैर सरकारी संगठनों में कम से कम 02 वर्षों का अनुभव 	<ol style="list-style-type: none"> वांछित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंकों का Weightage देते हुए अधिकतम 60 अंक। न्यूनतम अनुभव के पश्चात् प्रत्येक अतिरिक्त वर्ष के अनुभव के लिए 02 अंक दिये जायेंगे। अधिकतम 18 अंक।
2. अनुसंधान एवं प्रशिक्षण विशेषज्ञ	<ul style="list-style-type: none"> सामाजिक कार्य/अन्य सामाजिक क्षेत्रों में स्नातक डिग्री महिलाओं से संबंधित प्रशिक्षण एवं शोध कार्यों का शासकीय / अर्द्धशासकीय/गैर सरकारी संगठन में कम से कम 02 वर्षों का अनुभव 	<ol style="list-style-type: none"> छत्तीसगढ़ के मूल निवासी आवेदकों को 02 बोनस अंक दिए जाएंगे। उपरोक्त तीनों बिंदुओं के आधार पर कुल 80 अंक के आधार पर मैरिट तैयार की जाएगी। वॉक इन इन्टरव्यू /कौशल परीक्षा हेतु 20 अंक निर्धारित रहेंगे। जिन पदों पर दोनों रखा जाना है वहां दोनों में 10-10 अंक होंगे। अभ्यर्थियों के चयन मैरिट सूची में समान अंक होने की दशा में उम्र में वरिष्ठता के आधार पर चयन में वरीयता दी जावेगी।

- समिति आमंत्रित आवेदन की उपरोक्तानुसार तालिका के चयन प्रक्रिया कॉलम के उप कंडिका 1, 2, 3 पर प्राप्त कुल 80 अंकों के वैटेज के आधार पर मैरिट तैयार करते हुए चयन हेतु मैरिट लिस्ट में से प्रत्येक पद के 1:10 में वॉक-इन-इंटरव्यू/कौशल परीक्षा हेतु आवेदकों को आमंत्रित किया जायेगा एवं उपरोक्तानुसार प्रक्रिया के अनुसार अंतिम चयन सूची तैयार की जाएगी एवं चयन किया जाएगा। प्राप्त आवेदनों के संबंध में संचालक, महिला एवं बाल विकास विभाग का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।
- आवेदन निर्धारित प्रारूप में जमा किया जावे। आवेदन के साथ स्वप्रमाणित / सत्यापित वांछित प्रमाण-पत्र एवं अंकसूची की छायाप्रति की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न किया जाना होगा।
- अपूर्ण, अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्रों के संबंध में उम्मीदवारों को, कोई सूचना नहीं दी जावेगी एवं ऐसे आवेदन पत्र अमान्य कर दिये जायेंगे।
- आवेदन पत्र कार्यालयों में सीधे स्वीकार नहीं किये जायेंगे। आवेदन पत्र पंजीकृत डाक / स्पीड

पास्ट/कॉरररर द्वारा दिनांक 24.01.2025 को संध्या 5:00 बजे तक आयुक्त, संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग, इन्द्रावती भवन, ब्लॉक-1, द्वितीय तल नया रायपुर 49200: (छ०ग०) को प्राप्त हो जाए। निर्धारित तिथि एवं समय पश्चात् आवेदन स्वीकार नहीं किए जावेगा। (संचालक महोदय द्वारा अनुमोदित)

संयुक्त संचालक
महिला एवं बाल विकास नवा रायपुर
अटल नगर, (छ.ग.)

आवेदन पत्र का प्रारूप

प्रति

- आवेदित पद का नाम
- आवेदक का पूरा नाम (हिन्दी में) (अंग्रेजी में)
- पिता/पति का नाम
- स्थायी पता
- (पत्र व्यवहार का पता)
- जन्मतिथि (अंकों में) (शब्दों में)
- दिनांक 01/01/2025 को आयु
- लिंग पुरुष/महिला
- जाति/वर्ग (अ.आ./अ.ज.जा./अ.पि.व./सामान्य)जाति-----वर्ग-----
- क्या आवेदक शासकीय / अर्द्धशासकीय / गैर सरकारी संगठन जिसमें सेवारत है ?
- विवाहित / अविवाहित / विधुर / परित्यक्तता
- यदि आप विवाहित है तो विवाह की तिथि एवं जीवित बच्चों की संख्या
- शैक्षणिक योग्यता-(जन्मतिथि एवं समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रति संलग्न करें)
- अन्य योग्यता का विवरण :-----

क्रं	उत्तीर्ण परीक्षा	उत्तीर्ण वर्ष	बोर्ड/संस्था का नाम	प्राप्तांक	पूर्णांक	प्रतिशत	श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7	8

15. अनुभव (प्रमाण पत्र संलग्न करें)

संस्था का नाम	पदनाम	अनुभव का विवरण कब से कब तक	पद छोड़ने का कारण
1	2	3	4

इसके अतिरिक्त अन्य कोई विवरण देना चाहे तो पृथक पत्रक में संलग्न कर सकते हैं।

- अनिवार्य संलग्नकों की सूची (सभी संलग्न दस्तावेज स्वप्रमाणित रहें) -
- जन्म तिथि हेतु 10वीं की अंकसूची / प्रमाण पत्र
- 12वीं की अंकसूची
- स्नातक की अंकसूची
- स्नातकोत्तर की अंकसूची (पद अनुरूप आवश्यक होने पर)
- व्यावसायिक पाठ्यक्रम का प्रमाण-पत्र (पद अनुरूप आवश्यक होने पर)
- विज्ञापन अनुसार निर्धारित अवधि का अनुभव प्रमाण-पत्र
- अन्य संलग्नकों का विवरण

1-----2-----3-----4-----5-----6-----

आवेदक का हस्ताक्षर एवं नाम

घोषणा

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि इस प्रपत्र में दिए गए समस्त विवरण तथा संलग्न अभिलेख मेरी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य हैं और यदि ये असत्य पा जाते हैं, तो मेरी उम्मीदवारी/नियुक्ति निरस्त किए जाने योग्य होगी और मेरे विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी।

स्थान-----
दिनांक-----

आवेदक के हस्ताक्षर

आर.ओ.218/जी-242504820.4


भारत के सपूत: अटल जी को श्रद्धांजलि, डॉ. मनमोहन सिंह को अंतिम विदाई

भारतीय राजनीति के दो महान नायक, अटल बिहारी वाजपेयी और डॉ. मनमोहन सिंह, अपने व्यक्तित्व और कार्यों से देश को नई दिशा देने वाले अद्वितीय नेतृत्वकर्ता रहे हैं। 25 दिसंबर को "सुशासन दिवस" के रूप में अटल जी की जयंती मनाकर उनके आदर्शों को याद किया गया, वहीं 26 दिसंबर को डॉ. मनमोहन सिंह के निधन की खबर ने देश को गहरे शोक में डुबो दिया।

अटल बिहारी वाजपेयी

जन्म
25 दिसंबर 1924

मृत्यु
16 अगस्त 2018



सुशासन दिवस

छत्तीसगढ़ निर्माता पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती 25 दिसंबर को पूरे देश में सुशासन दिवस के रूप में मनाई जा रही है। अपने अद्वितीय नेतृत्व और निस्वार्थ सेवा से वाजपेयी जी ने भारतीय राजनीति में नई ऊंचाइयों को छुआ। अटल बिहारी वाजपेयी ने 16 मई 1996 को देश के 10वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। 13 अक्टूबर 1999 को लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले अटलजी ने देश को सशक्त और समृद्ध बनाने में अहम भूमिका निभाई। लोकसभा में 9 और राज्यसभा में 2 बार प्रतिनिधित्व करने वाले वाजपेयी जी को पद्म विभूषण और 'सर्वश्रेष्ठ सांसद' जैसे सम्मान मिले। प्रखर वक्ता, कवि और दूरदर्शी नेता के रूप में उन्होंने सुशासन के आदर्श स्थापित किए। उनकी जयंती पर देश उनके योगदान को याद करते हुए उनके दिखाए मार्ग पर चलने का संकल्प ले रहा है।

राजनीतिक पृष्ठभूमि

- 1951: संस्थापक सदस्य, भारतीय जनसंघ
- 1957-77: भारतीय जनसंघ संसदीय दल के नेता
- 1977-80: जनता पार्टी के संस्थापक सदस्य रहे

महत्वपूर्ण पड़ाव

- 4 अक्टूबर 1977 को अटल बिहारी वाजपेयी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में संबोधित किया था।
- 16 मई 1996 को देश के 10वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली 13 अक्टूबर 1999 को अटलजी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी।
- 11 और 13 मई 1998 को राजस्थान रेगिस्तान में पोखरण टेज में परमाणु परीक्षण को करवाया
- 19 फरवरी 1999 को दिल्ली से लाहौर तक सदा-ए-सरहद नाम की एक बस सर्विस शुरू की थी।

पुरस्कार-सम्मान

- 1992: पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया
- 1993: कानपुर विश्वविद्यालय ने मानद डॉक्टरेट की उपाधि से नवाजा
- 1994: लोकमान्य तिलक पुरस्कार
- 1994: श्रेष्ठ सांसद के पुरस्कार से भी सम्मानित
- 1994: पण्डित गोविन्द वल्लभ पन्त पुरस्कार
- 2015: डी लिट (मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय) जिया लाल बैरावा (देवली)
- 2015: 'फ्रेंड्स ऑफ बांग्लादेश लिबरेशन वार अवॉर्ड' (बांग्लादेश सरकार द्वारा प्रदत्त)
- 2015: भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'भारत रत्न' की उपाधि से अलंकृत किया गया।
- 13 अक्टूबर 1995: मेरी इक्यावन कविताएँ कवि व राजनेता अटल बिहारी वाजपेयी का बहुचर्चित काव्य-संग्रह है

डॉ. मनमोहन सिंह

जन्म
26 सितंबर 1932

मृत्यु
26 दिसंबर 2024



श्रद्धांजलि

भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह का 26 दिसंबर को 92 साल की उम्र में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स, दिल्ली) में निधन हो गया। एम्स ने आधिकारिक बयान में बताया कि तबीयत बिगड़ने पर डा. सिंह को शाम 8.06 पर मेडिकल इमरजेंसी में भर्ती कराया गया था। इससे पहले, उम्र से संबंधित बीमारियों के लिए उनका उपचार चल रहा था और घर पर वह अचानक बेहोश हो गए थे। उन्होंने 26 दिसंबर रात 9.51 बजे अंतिम सांस ली। केंद्र सरकार ने डॉ. सिंह के निधन पर सात दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सहित कई हस्तियों ने शोक व्यक्त किया है।

महत्वपूर्ण पड़ाव

- 2004-2014: दो बार लगातार देश के प्रधानमंत्री, छह बार राज्यसभा सांसद।
- 1998: नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा।
- 1991-1996: वित्त मंत्री।
- 1991: अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में भारत के प्रतिनिधि।
- 1990: आर्थिक मामलों पर प्रधानमंत्री के सलाहकार।
- 1985-87: उपाध्यक्ष, योजना आयोग।
- 1985: अध्यक्ष, भारतीय आर्थिक संघ।
- 1982: भारत के लिए वैकल्पिक गवर्नर, आईएमएफ।
- 1982-85: गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक।
- 1976: सचिव, वित्त मंत्रालय में आर्थिक विभाग
- 1972: मुख्य आर्थिक सलाहकार, वित्त मंत्रालय।
- 1971: आर्थिक सलाहकार, विदेश व्यापार मंत्रालय।
- स्कॉलर के रूप में शानदार कैरियर: कैम्ब्रिज

विश्वविद्यालय 1957 में अर्थशास्त्र में डिग्री प्राप्त की।

- 1962 में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से डी. फिल. की उपाधि प्राप्त की। पंजाब विश्वविद्यालय और दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर।

पुरस्कार-सम्मान

- 1987 में पद्म विभूषण।
- 1995 में जवाहरलाल नेहरू जन्म शताब्दी पुरस्कार।
- 1995 और 1996 में सेंट जॉन्स कॉलेज, कैम्ब्रिज से विशिष्ट प्रदर्शन के लिए राइट पुरस्कार और एडम स्मिथ पुरस्कार।
- 2002 में उत्कृष्ट सांसद का पुरस्कार।
- 2010 में सऊदी अरब का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'ऑर्डर ऑफ किंग अबदुल अजीज'।
- 2014 में जापान का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान, 'ऑर्डर ऑफ द पॉलाउनिया प्लावर्स'।


वीर साहिबजादों के अमर बलिदान की कहानी छत्तीसगढ़ के स्कूली पाठ्यक्रम में

छत्तीसगढ़ के बच्चे अब स्कूल में गुरु गोविंद सिंह के वीर साहिबजादों बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह के अमर बलिदान की कहानी पढ़ेंगे। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने वीर बाल दिवस के मौके पर इसे स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने की घोषणा की। इस मौके पर सीएम ने कहा कि वीर साहिबजादों की वीरता की यह कहानी देश के युवाओं को साहस के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। मुख्यमंत्री ने वीर साहिबजादों के जीवनी पर आधारित एनिमेटेड फिल्म भी देखी।

राजधानी रायपुर के मेडिकल कॉलेज में आयोजित बौद्धिक संगोष्ठी के दौरान सीएम ने यह बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि हमें उनकी शिक्षाओं को अपनाना चाहिए और नई पीढ़ी को उनके आदर्शों से जोड़ना चाहिए।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर वर्ष 2022 से 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन सिखों के दसवें गुरु गोविंद सिंह के दो छोटे साहिबजादों 9 साल के बाबा जोरावर सिंह और उनके छोटे भाई 5 साल के बाबा फतेह सिंह की वीरता को समर्पित है। छोटे साहिबजादों बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी के साहस को श्रद्धांजलि देने के लिए वीर बाल दिवस पूरे देश-विदेश में मनाया जाता है।

शौर्य गाथा



वीर बाल दिवस गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों, साहिबजादा जोरावर सिंह और फतेह सिंह के बलिदान पर को श्रद्धांजलि के रूप में मनाया जाता है, जिनकी बहादुरी और शहादत भारत के न्याय और विश्वास के संघर्ष के इतिहास में अंकित है। साहिबजादों की शहादत अद्वितीय साहस की कहानी है।

- साहिबजादा 9 साल के बाबा जोरावर सिंह और उनके छोटे भाई साहिबजादा 7 साल के बाबा फतेह सिंह, गुरु गोविंद सिंह के दो छोटे पुत्र, अपने साहस और बलिदान के लिए इतिहास में अमर हैं। उनकी शहादत की कहानी सिख

धर्म और भारतीय इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। 1704 ई. में गुरु गोविंद सिंह और उनके परिवार ने मुगलों और पहाड़ी राजाओं के आक्रमण के कारण आनंदपुर साहिब छोड़ दिया। परिवार सिरसा नदी पार करते समय बिछड़ गया। गुरु गोविंद सिंह के छोटे बेटे जोरावर सिंह (9 वर्ष) और फतेह सिंह (7 वर्ष) अपनी दादी माता गुजरी के साथ अलग हो गए।

- गुरु परिवार के विश्वासघाती नौकर गंगू ने उन्हें धोखा देकर मुगलों के हाथों सौंप दिया। उन्हें सरहिंद के सूबेदार

कजरी खान के पास ले जाया गया। सरहिंद के नवाब कजरी खान ने उन्हें बंदी बना लिया।


- कजरी खान ने उन्हें इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए दबाव डाला। उन्होंने लालच दिया और धमकियां दीं, लेकिन साहिबजादों ने इस्लाम अपनाने से इनकार कर दिया। उन्होंने गर्व से अपने सिख धर्म और अपने पिता के सिद्धांतों के प्रति वफादारी दिखाई। उनके इनकार के कारण कजरी खान ने उन्हें जिंदा दीवार में चुनवा देने का आदेश दिया। दीवार बनते समय भी, साहिबजादे गुरु ग्रंथ साहिब के शब्दों का जाप करते रहे और अपनी आस्था में अडिग रहे। आखिरकार, उन्हें शहीद कर दिया गया।

- माता गुजरी जी को भी सूबेदार के सिपाहियों ने ठंडे बुर्ज (कैद में रखा गया ठंडा कक्ष) में यातनाएं देकर मार डाला। साहिबजादा जोरावर सिंह और फतेह सिंह ने कम उम्र में जो बलिदान दिया, वह धर्म, सत्य और न्याय की रक्षा के लिए उनके अद्वितीय साहस का प्रतीक है। उनकी शहादत न केवल सिख समुदाय के लिए, बल्कि पूरी मानवता के लिए प्रेरणा स्रोत है। उनकी स्मृति में फतेहगढ़ साहिब (सरहिंद) में एक भव्य गुरुद्वारा बनाया गया है। यह घटना सिख इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय है, जो सिखों की धार्मिक आस्था और बलिदान की भावना को दर्शाता है।

कंटेनट: संदीप सिन्हा,
इलस्ट्रेशन: धनेश कुमार दिवाकर



सुशासन का साल
छत्तीसगढ़ हुआ सुशहल



सुशासन दिवस

छत्तीसगढ़ राज्य निर्माता भारत रत्न

श्री **अटल**
बिहारी वाजपेयी जी

को कोटि-कोटि नमन



श्री नरेन्द्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री



श्री विष्णु देव साय
माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

हमने बनाया है, हम ही संवारेँगे

ChhattisgarhCMO DPRChhattisgarh www.dprcg.gov.in

